नेहरू युवा केन्द्र संगठन
वार्षिक कार्य योजना के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश
2019-20

परिचय

भारत में युवावस्था से व्यस्कता की ओर बढ़ रहे लोगों की संख्या सर्वाधिक है। राष्ट्रीय युवा नीति 2003 में 13 से 35 वर्ष की आयु के व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित किया गया है। जोकि देश में कुल जनसंख्या का लगभग 41 प्रतिशत भाग है तथा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल युवा वर्ग जनसंख्या 69.67 प्रतिशत है। भारत की कुल जनसंख्या में 70 प्रतिशत से अधिक की आयु 35 वर्ष से कम है।

यह नोट करें कि युवा मामले विभाग, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार की वर्तमान राष्ट्रीय युवा नीति दस्तावेज 2014 में 15 से 29 वर्ष के समूह वर्ग को युवा बताया गया है, जहां तक विभिन्न नीतिगत व्याख्यों का संबंध है। हमें अधिक से अधिक केन्द्रित सोच रखनी होगी। देश की जनसंख्या में 27.05 प्रतिशत भाग 15 से 29 वर्ष की आयु समूह के युवा वर्ग का है। वर्तमान में भारत की कुल राष्ट्रीय आय में लगभग 34 प्रतिशत योगदान 15 से 29 वर्ष के आयु समूह के युवाओं का है।

राष्ट्रीय युवा नीति 2014 को ध्यान में रखते हुए में जब तक स्पष्ट उल्लेख नहीं किया जायेगा उनके अलावा 15-29 वर्ग के आयु समूह के युवा नेयुकेसं के मुख्य कार्यक्रमों, योजनाओं, परियोजनाओं और अन्य गतिविधियों के लाभार्थी होंगे।

युवा वर्ग सर्वाधिक उत्साही तथा संसाधन सम्पन्न भाग होने के कारण, देश के सामाजिक–आर्थिक विकास के पोषण तथा सुदृढ़ीकरण में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। चुनौती यह है कि गरीबी से बाहर निकलने, विकास के सृजन तथा जीविका परिणामों की प्राप्ति के लिए उनकी आंतरिक क्षमताओं को उजागर कर विकसित किया जाए, ताकि वे एक स्वस्थ और सार्थक जिंदगी बिता सकें। फिर भी उनके श्रम शक्ति की भागीदारी और उनकी उत्पादकता में वृद्धि से देश के नागरिकों के इस वर्ग का योगदान बढ़ाने के लिए एक विशाल क्षमता मौजूद है।

नेहरू युवा केन्द्र संगठन

देश भर में प्रत्येक जिले के लिए नेहरू युवा केन्द्र की योजना 1972 में प्रारंभ की गई थी। **नेहरू युवा केन्द्र संगठन (ने.यु.के.सं)** की भारत सरकार के एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में स्थापना वर्ष 1987 में की गई थी, जो वर्तमान में युवा कार्य विभाग, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है। सन् 1972 से नेहरू युवा केन्द्रों का भारी विस्तार और विकास हुआ है तथा आज नेहरू युवा केन्द्र देश भर में 623 जिलों में कार्यरत हैं।

नेयुकेसं की मुख्य शक्ति विभिन्न जिलों में ग्राम स्तरीय युवा मंडलों में निहित है। इन युवा मंडलों, जिला ने.यु.केन्द्रों के बीच राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी) स्वयंसेवकों का बल मौजूद है, जिसकी सहायता और प्रतिभागिता के साथ ने.यु.के.सं अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है।

अभिसरण पहल

नेहरू युवा केन्द्र संगठन युवा कार्य विभाग, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों तथा स्कीमों द्वारा युवा विकास के विभिन्न मोर्चों पर कार्य कर रहा है। तथापि, एक अवधि में, ने.यु.के.सं के विशाल नेटवर्क और इसकी फील्ड यूनिटों के उपयोग में अनुकरणीय परिवर्तन प्रारंभ हुआ है।

अतएव, ने.यु.के.सं ग्रामीण युवाओं के विकास एवं सशक्तीकरण के लिए, अपने स्वयं के ग्रामीण युवा कोर कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य विभागों, संयुक्त राष्ट्र संगठन तथा अन्य अभिकरणों के समन्वय स्थापित कर विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं को आयोजित कर रहा है। यह ने.यु.के.सं की विशाल बाह्य पहुंच के उपयोग हेतु अन्य मंत्रालयों तथा विभागों की सहायता करता रहा है तथा ग्रामीण युवाओं को विकास गतिविधियां अधिक प्रभावशाली ढ़ंग से निष्पादित करने हेतु अवसर उपलब्ध कराता है।

इस प्रकार नेहरू युवा केन्द्रों के साथ जुड़े युवा न केवल जागरूक, प्रेरित हैं बल्कि स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से सामाजिक विकास कार्य की दिशा में प्रवृत्त हैं। इस सम्पूर्ण अवधि में, ने.यु.के.सं की गतिविधियां आर्थिक एवं गैर-आर्थिक विकास और कल्याणकारी गतिविधियों पर केन्द्रित हैं। इसमें गरीबी उपशमन, स्वच्छ भारत मिशन, योग, शौचालय के निर्माण के सुविधादाता, वित्तीय एवं समाज कल्याण के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय फ्लैगशिप योजनायें, वृक्षारोपण, प्लास्टिक मुक्त गांव, रक्तदान, युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ जोड़ना, श्रमदान, बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओं, गतिविधियॉ, एच.आई.वी. एड्स से बचाव, मद्यपान एवं नशे के दुष्परिणाम, स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम, राष्ट्रीय महत्व के दिवसों का आयोजन, राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति को प्रोत्साहित करना, मतदाता जागरुकता, युवा मंडल, महिला मंडल एवं ग्रामीण समुदाय को शामिल कर आयोजित करना। तथापि, अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

वार्षिक कार्य योजना 2019-20 की उत्पत्ति

उत्पत्ति

1. वार्षिक कार्य योजना **2019-20** विभिन्न पणधारियों के फीडबैक/ब्रेन स्टार्मिंग का परिणाम है। इससे न केवल ने.यु.के.सं. के उद्देश्यों को प्राप्त करेगा अपितु समाज के सभी वर्गों के युवाओं को राष्ट्र निर्माण में भाग लेने, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने तथा अर्थपूर्ण योगदान करने का एक अवसर प्रदान करेगा। इससे युवाओं को विकसित एवं सशक्त होने में सहायता मिलेगी जिससे वे सामाजिक एवं विकास मुद्दों को संबोधित करने, सामाजिक कल्याण एवं शांति बनाए रखने में स्थानीय नेतृत्व ग्रहण कर सकें।

2. यह योजना युवा आंदोलन को तैयार करने, उनकी रूचि के क्षेत्रों पर आधारित युवा समूहों के कैडर का निर्माण करने और देशभर में योग, स्वच्छता, कौशल एवं उद्यमशीलता विकास कार्यकलापों और इसके साथ-साथ सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण की गतिविधियों के लिए एक संस्थागत तंत्र की स्थापना को भी सुकर बनाएगी।

3. दिनांक 18.04.2016 को प्रधानमंत्री कार्यालय में आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों को ने.यु.के.सं. की वार्षिक कार्य योजना **2019-20** का अभिन्न भाग बनाया गया है जैसे सरकार की समस्त संस्थाओं के बीच समन्वयः राष्ट्र युवा दिवस (12 जनवरी) को समस्त युवाओं को राष्ट्र के कार्य के लिए एकत्रित किया जाये : युवाओं को स्कूलो, कॉलेजों, अस्पतालों, सार्वजनिक मूर्तियों की सफाई और गांवों को शौच मुक्त बनाने के लिए लगाने हेतु प्रेरित किया जायेः युवाओं को जल संरक्षण में (पानी बचाओं) और प्लास्टिक मुक्त गांव बनाने में लगाया

जाये, इन्द्रधनुष कार्यक्रम में टीकाकरण और परिणामोन्मुखी तथा अर्थपूर्ण कार्य वृक्षारोपण के कार्य में लगाया जाये और उन्हें फुटबाल खेलने के लिए प्रेरित किया जाये।

दिनांक 31 दिसंबर, 2017 को ऑल इंडिया रेडियो पर **माननीय प्रधान मंत्री जी** की मन की बात के दौरान निम्नलिखित संकेत दिए, जिस पर नेहरू युवा केंद्र संगठन को काम करना है :

ए) उन्होंने सहस्राब्दी नए मतदाताओं का स्वागत किया और जो लोग **नए मतदाताओं** के रूप में पंजीकरण करने की मांग करेंगे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेंगे। इसलिए, नए मतदाताओं के पंजीकरण और उत्साही लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के महत्वपूर्ण होने का मूल्यांकन करना बहुत महत्व रखता है।

जैसे ही लोग खुद को नए मतदाताओं के रूप में पंजीकृत करते हैं, उन्हें विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों का पूरा ज्ञान होना चाहिए ताकि वे समझ सकें और विकास प्रक्रिया में संभवतः भाग ले सकें। यह महत्वपूर्ण है कि नेयुकेसं के जिला और राज्य कार्यालय स्वयं को किसी ऐसे संसाधन केंद्र के रुप में परिवर्तित करें जहां सरकार के सभी कार्यक्रमों के बारे में युवाओं को जानकारी देने की सुविधा उपलब्ध हो सके। जाहिर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया भी इन प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

बी) युवाओं को नई भारत के लिए **संकल्प से सिद्धी** के तहत किए जाने वाले मुद्दों पर जागरूक और शिक्षित किया जाना चाहिएय जहां युवा अर्थव्यवस्था, समाज और राष्ट्र के विकास पर अपने विचार व्यक्त कर सकेगें। इसका मतलब यह होगा कि पूरे भारत में कार्यक्रम और युवा संसदों की एक श्रृंखला होनी चाहिए। उनके सुझावों को संकल्प से सिद्धी के लिए उत्पन्न होने वाले नए भारत के लिए उनकी दृष्टिकोण के रूप में संकलित किया जा सकता है।

4. उपर्युक्त तथ्यों को वास्तविकता का रूप देने के लिए, **माननीय प्रधानमंत्री का विजन, नई सरकार द्वारा आरंभ किए गए सामाजिक और वित्तीय समावेशन के लिए फ्लैगशिप कार्यक्रमों** के घटकों, माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत सचिवों के समूह की अंतिम रिपोर्टों से उभरे युवा मामलों के विभाग के लिए कार्यात्मक मुद्दों, राष्ट्रीय युवा नीति-2014, नीति आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों, मूल्यांकन अध्ययन द्वारा दिए गए सुझावों, गृह मंत्रालय एवं पेय जल एवं सिंचाई (जल शक्ति) मंत्रालय द्वारा लिए गए संयुक्त निर्णयों, अध्यक्ष एवं सदस्यों, शासी बोर्ड, नेहरु युवा केन्द्र संगठन द्वारा दिए गए सुझावों, वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से राज्य निदेशकों के साथ की कई चर्चा के दौरान दिए गए सुझावों को भी ने.यु.के.सं. की वार्षिक कार्य योजना **2019-20** में शामिल किया गया है।

5. वर्तमान ने.यु.के.सं. के कोर कार्यक्रमों की विषयसूची में सुधार करके तथा समन्वय कार्यकलापों के उद्देश्यों में सुधार कर बेहतर प्रभाव और समुन्नत परिणामों के लिए पद्धति बनाकर, और ने.यु.के.सं. की दृश्यता एवं छवि निर्माण के लिए व्यापक कार्यक्रमों को शामिल किया गया है।

6. इसके अतिरिक्त कार्यक्रमों की गतिविधियों को गुणवत्तापूर्ण परिणामों के साथ कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए समस्त नेहरु युवा केन्द्रों को मौसम की भौगोलिक स्थितियों, एन.वाई.वी. की तैनाती और प्रशिक्षण, और इसके साथ-साथ जिला नेहरु युवा केन्द्रों में स्टाफ की स्थिति को ध्यान में रखकर योजना तैयार करनी होगी।

7. इस पर और अधिक ध्यान देते हुए - सार्वभौमिक विषय सूचियों, कार्यनीति, ध्यान देने योग्य क्षेत्र और कार्यक्रमों के स्तर को भी जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त, योजना में, सभी पणधारियों के साथ तालमेल के लिए गुंजाइश को और अधिक व्यापक कार्यकलापों के लिए अतिरिक्त संसाधनों को संगठित करने के लिए ही नहीं अपितु एक और पारदर्शिता तथा मानिटरिंग को बनाए रखने के लिए तथा दूसरी ओर सरकार के विजन को प्राप्त करने के लिए भी किया गया है। नेयुकेस की वार्षिक कार्य

योजना **2019-20** के कोर कार्यक्रमों एवं गतिविधियों पर एक संक्षिप्त सार तैयार किया गया है। और इसे **अनुबंध-1**पर रखा गया है।

8. **इसके अलावा, किसी जिले में ब्लॉकों की संख्या के आधार पर कोर कार्यक्रम प्रदान करने की योजना बनाई गई है।** जिला में ब्लॉकों की संख्या के आधार पर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के ब्लॉक अनुदान से जिला नेहरु युवा केन्द्रों को कोर कार्यक्रमों का वितरण **अनुबंध -2** में देखा जा सकता है।

लक्ष्य-- राष्ट्र निर्माण के लिए ग्रामीण युवाओं का विकास तथा सशक्तिकरण

1. नेतृत्व और समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए युवाओं को संगठित करना और उनका सशक्तिकरण करना।

2. युवा आंदोलन, उनकी रूचि के क्षेत्रों पर आधारित युवा समूहों के कैडर का निर्माण करने के लिए संस्थागत तंत्र की स्थापना करना।

3. विकसित और सशक्त युवाओं को सामाजिक एवं विकास मुद्दों को संबोधित करने, सामाजिक कल्याण एवं शांति बनाए रखने में स्थानीय नेतृत्व ग्रहण करने के लिए प्रेरित और सहायता करना।

4. राष्ट्र निर्माण में अर्थपूर्ण योगदान देने और उनकी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने के लिए युवाओं को सुअवसर प्रदान करना।

व्यापक कार्यसूची

- **राष्ट्रीय ध्वज फहराना**, राष्ट्रीय गान गाना तथा राष्ट्रीय ध्वज का अभिवादन करना, योग, स्वच्छ एवं श्रमदान प्रत्येक गतिविधि में शामिल करना।
- **युवा शपथ** - युवा संकल्प।
- **केंद्र सरकार के राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम** और इन योजनाओं से लोगों को लाभ कैसे प्राप्त हो सकता है।
- देशभक्ति, राष्ट्र निर्माण, नेतृत्व, लोकतंत्र को मजबूत बनाना, सामाजिक सद्भाव, भाईचारा और युवाओं की भूमिका को बढ़ावा देनाय टीम भावना और व्यक्तित्व विकास पर **प्रेरक व्याख्याता और विशेषज्ञों** द्वारा चर्चा।
- युवाओं को नेयुकेसं के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना और अभिमुख करना - **फेस बुक, वेबसाइट और युवा मंडलों** से ऑनलाइन संबद्धता और स्वच्छ भारत मिशन का महत्व।
- **मोबाइल ऐप** डाउनलोड करने के बारे में बताना (नरेंद्र मोदी, भुवन, इत्यादि) और अपने विचार, सुझाव, फोटो अपलोड करना।
- राष्ट्र और संगठन, के प्रति निष्ठा अनुपालन और संचार, रिपोर्ट तैयार करना और **मीडिया प्रबंधन पर बातचीत सत्र।**

केंद्र बिंदु क्षेत्र

i. दिनांक 31 दिसंबर, 2017 को माननीय प्रधान मंत्री जी की मन की बात -सेवा भाव (सेवा की भावना) के साथ काम करने, नई जागृति के लिए अपने विचारों को जागरुक करना, हमारी शिकायतों का समाधान करना और सकारात्मक

विचारों के साथ काम करना और जातिवाद, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और गंदगी से हमारे महान राष्ट्र को मुक्त बनाने की शपथ लेना।

ii.सकारात्मक भारत- इससे नए भारत का सृजन होगा जैसाकि माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के लिए कल्पना की है और सकारात्मक भारत से प्रगतिशील भारत की यात्रा के ठोस कदम उठाएंगे।

iii.मतदाता जागरूकता - सभी एनवाईवी और नेहरु युवा केन्द्रों के सदस्य, युवा मंडलों के सदस्यों को अपना मतदाता पहचान पत्र बनाना चाहिए। मतदाता जागरूकता और पंजीकरण सुविधा अनिवार्य गतिविधि के रूप में होना चाहिए। मतदाता जागरूकता नेयुकेसं के केन्द्र बिन्दु क्षेत्र में से एक होना चाहिए। सभी मतदाता युवा लड़के और लड़कियों को अपने मतदाता आईडी कार्ड बनाने के लिए प्रेरित करने हेतु व्यापक मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए जिला प्रशासन से संपर्क स्थापित किया जाना चाहिए।

iv.“निष्कामकर्म” - निःस्वार्थ कर्मों के लिए जागरूकता और शिक्षा अभियान, जिसका अर्थ है बिना किसी फल की उम्मीद किए सेवा करना।

v. राष्ट्रीय एकता और सभी धर्मों का सम्मान करने और हिंसा, दूसरों के प्रति घृणा और कड़वाहट की भावना को अलविदा कहने की शपथ लेना।

vi. संविधान के प्रति प्रतिबद्धता, देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण में योगदान।

vii.योग- युवाओं को स्व-विकास, सामंजस्य और शांति तथा सकारात्मक नियोजन के लिए खेल और साहसिक गतिविधियां में लगाना।

viii.स्वच्छता एवं श्रमदान- स्वैच्छिक श्रम की आवश्यकता एवं महत्व के संबंध में युवाओं के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से युवाओं को स्वच्छता और श्रमदान कार्यकलापों में शामिल करना तथा समाज को एकजुट करने और ग्राम विकास में अपना योगदान तथा दूसरी ओर श्रम के प्रति गरिमा की भावना उत्पन्न करना।

श्रमदान गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय संशाधनों को एकत्रित करके सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव करना और इसमें समुदाय की प्रतिभागिता सुनिश्चित करना। उदाहरण के तौर पर गतिविधियां इस प्रकार से होंगी जैसे- तालाबों का रखरखाव, जल संचयन, सिंचाई के लिए बांध और इसके साथ -साथ स्थानीय बस स्टैंड, गांवों में सामुदायिक परिसंपत्तियां और स्वच्छता अभियान आदि।

गंगा नदी के तट से सटे जिलों में सक्रिय भागीदारी के लिए युवाओं को एकत्र करना और गंगा से सटे सभी गांवों में युवा मंडल, महिला मंडल, युवा कार्य समूह, एसएचजी स्थापना के लिए व्यापक अभियान चलाना और भारतभर में स्वच्छता राजदूतों की श्रृंखला का विकास करना।

ix.सामाजिक और वित्तीय समावेशन के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी के फ्लैगशिप कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जागरूकता और सहायता - मूर्तियों की सफाई, प्रधानमंत्री जन धन खाते से लाभ प्राप्त करने, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, मुद्रा बैंक (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड री-फाइनेंस एजेंसी), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल इंडिया, मेकिंग इंडिया - स्कील भारत, बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओं अभियान, स्टैण्ड अप भारत का लाभ युवाओं एवं लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्हें लोकप्रिय बनाना।

x.समस्त सरकारी युवा संगठनों के साथ राष्ट्रीय/राज्य और जिला स्तर पर समन्वय स्थापित करना और अधिकतम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तकनीकी पहलुओं को शामिल करने के लिए सामने लाना। यह संस्थायें एन.एस.एस., एन.सी.सी., बी.एस.जी., एच.एस.जी., ईको क्लब और अन्य विख्यात संगठन होगें जोकि ने.यु.के.सं. के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक हो सके।

xi. राष्ट्रीय युवा दिवस (12 जनवरी) पर समस्त युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जुडी किसी विशेष गतिविधि के लिए एकत्रित किया जायेगा जोकि युवाओं के महत्व को बता सकें और उन्हें स्वाभिमान की भावना दे सके और उन्हें राष्ट्र निर्माण की गतिविधि में शामिल कर सके और यह उनकी मुख्य यादों का हिस्सा बन जाये। इस कार्य के लिए एक छोटी टीम का गठन किया जाना है।

xii. अधिकाधिक युवा मंडलों और महिला मंडल सदस्यों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल करना और जोड़ना। युवाओं को सूचना, काउंसलिंग इत्यादि के द्वारा व्यावसायिक पाठयक्रमों को अपनाने के लिए प्रेरित करना।

xiii. सौर ऊर्जा के उपयोग तथा ऊर्जा संरक्षण प्रचलनों के बारे में जागरुकता लाना और इसे जन अभियान का रूप देना।

xiv. पयार्वरण समृद्धि, जल संरक्षण और संचयन- पोलीथिन बैग का उपयोग न करना और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, स्वच्छ शौचालयों के निर्माण और उपयोग को उनके आदतों में परिवर्तन के साथ प्रचारित करना और साथ-साथ जल संरक्षण और संचयन को बढ़ावा देना। मई और जून के महीने में युवाओं को गंभीरतापूर्वक जल संरक्षण (पानी बचाओ) के लिए प्रेरित करना और मनरेगा की गतिविधियों के साथ संबद्ध होकर छोटे बांध (बोरी बांध) का निर्माण करना। (इस संबंध में परिपत्र पहले से ही जारी किया जा चुका है)।

जून से सितम्बर माह के बीच और इससे आगे के लिए देश के सभी भागों में युवाओं द्वारा साधक एवं परिणामोन्मुखी वृक्षारोपण के लिए योजना तैयार की जाये।

xv. निवारक स्वास्थ्य देखभाल, गैर-संचारी रोगों की रोकथाम, किशोर लड़कियों को आयरन फोलिक गोलियों का वितरण, स्वास्थ्य जांच, बच्चों और गर्भवती माताओं के टीकाकरण के लिए शिविरों का आयोजन, संस्थागत प्रसव की सुविधा, लड़कियों और उनके अभिभावकों को 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक विवाह न करने के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना। युवाओं को टीकाकरण के लिए इंद्रधनुष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जायेगा क्योंकि इससे उन्हें सुरक्षित जीवन के सुख की प्राप्ति होगी।

xvi. प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर बच्चों का स्कूलों में नामांकन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक जागरूकता, स्कूली शिक्षा बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की रोकने के लिए प्रयास करना।

xvii. आर्गेनिक कृषि कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और आर्गेनिक उत्पादों का प्रयोग करना।

xviii. नशा एवं शराबखोरी समाप्त करनाः शराब और नशे के उपयोग के लिए ना करना।

xix.युवाओं को सामुदायिक विकास एवं नेतृत्व पर प्रशिक्षण और इस प्रकार उन्हें सामाजिक एवं विकास संबंधी मुद्दों, समाज कल्याण तथा शांति बनाए रखने पर अपने विचार रखने के लिए प्रेरित करना।

xx. रक्तदान कार्यक्रम, रक्त दानकर्त्ताओं और उनके ब्लड ग्रुप का नामांकन।

xxi. सामाजिक मीडिया प्रशिक्षण और ई-सेवाओंको बढावा देना और स्वैच्छिक सेवाओं के दोहन के लिए एक पृथक पोर्टल तैयार करना।

xxii.युवा और युवा संगठनों को उनकी स्वार्थ रहित उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देना।

xxiii. नए युवा मंडलों और युवा समूहों का विकास।

xxiv.खेल - अन्य लोकप्रिय खेलों के अलावा युवाओं को फुटबाल खेलने के लिए प्रेरित करना। जिससे कि उन्हें खुशी मिले और वे फुटबाल से जूडे रहें। जो युवा फुटबाल के क्षेत्र में उत्कृष्ट हैं और जिनको युवाओं को प्रशिक्षण देने में रुचि है और जो

समय निकाल सकते हैं उनको इस चल रहे कार्यक्रम के लिए चयनित किया जा सकता है। इस प्रकार के युवाओं को उच्च स्तरीय कोचिंग के लिए भी प्रोत्साहित किया जा सकता हैं। और उन्हें उच्च स्तरीय टूर्नामेंट में प्रतिभागिता करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

xxv.सांसद आदर्श ग्राम योजना :

युवा मंडल जो ऐसे गांवों में सक्रिय रुप से कार्यरत हैं जिन्हें माननीय सांसदों द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत गोद लिया गया हो। यह केन्द्र सरकार की योजनाओं का प्रचार करने के लिए तथा ग्रामवासियों को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने के लिए भी है। जिला नेहरु युवा केन्द्र संबंधित माननीय सांसदों को देश में गोद लिए गांवों को आदर्श ग्राम बनाने में सहयोग करें।

अधिक जानकारी के लिए कृपया वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान भेजे गए परिपत्रों एवं दस्तावेजों को देखें। इसके अतिरिक्त www.saanjhi.gov.in (एसएजीवाई) की वेबसाईट पर "रिपोर्ट" पर क्लिक करें और गोद लिए गए गांवों की राज्य/संघ प्रदेश वार सूची देख सकते हैं।

उपरोक्त के संदर्भ में संबंधित जिला नेहरु युवा केन्द्र निम्नलिखित कार्यवाही करें :

- ✓ जिला नेहरु युवा केन्द्र युवा मंडल का उनके पंचायत के गांवों में गठन करेगें जहॉ पर की वे अस्तित्व में नहीं है। यदि ऐसी व्यवस्था उपलब्ध है तो उन्हें पुनः जीवित करेगें और उन्हें प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका के लिए सशक्त करेगें।

- ✓ इन गांवों के युवा मंडल के सदस्यों की सहभागिता/भागीदारी कोर कार्यक्रमों, समन्वय गतिविधियों, एन.पी.वाई.ए.डी. कार्यक्रमों (राष्ट्रीय एकता शिविरों, साहसिक शिविरों और जीवन कौशल शिक्षा) तथा किशोर स्वास्थ्य, विकास परियोजना के दौरान सुनिश्चित करेगें।

- ✓ कुछ आधारभूत कार्यक्रम, समन्वय गतिविधियॉ एन.पी.वाई.ए.डी. कार्यक्रम तथा अन्य विशेष कार्यक्रम इन चयनित गांवों में ग्रामीण समुदायों की भागीदारी के साथ आयोजित की जायेगी।

- ✓ उपरोक्त के अतिरिक्त समय समय पर जारी किए गए पत्रों का भी आवश्यक कार्यवाही हेतु संदर्भ लें।

भाग - 1

नेहरु युवा केन्द्र संगठन के बुनियादी कार्यक्रम

नेहरु युवा केन्द्र संगठन के ढ़ांचे, नेटवर्क समन्वय उपलब्ध, युवा स्वयं सेवकों तथा प्रशिक्षित मानव संसाधनों के मध्याम से निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, यह प्रस्ताव किया गया है कि वर्ष 2019-20 के दौरान युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय से प्राप्त ब्लॉक अनुदान से, ने.यु.के.सं **12 बुनियादी कार्यक्रम** आयोजित करेगा यथाः

1. युवा नेतृत्व एवं समुदाय विकास पर प्रशिक्षण
2. खेलकूद को प्रोत्साहन

ए. युवा मंडलों को खेल सामग्री

बी. ब्लॉक स्तर पर खेल प्रतियोगिता
सी. जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिता

1. बुनियादी वोकेशंस में शिक्षा. संशोधित
2. जिला स्तर पर कला और संस्कृति को प्रोत्साहन
3. राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के दिवसों का आयोजन
4. जिला युवा सम्मेलन
5. महात्मा गांधीजी की 150वीं जयंती का आयोजन

(i) युवा स्वच्छता अभियान एवं श्रमदान कार्यक्रम
(ii) स्वच्छता पखवाडा
(iii) कार्य शिविर - नया कार्यक्रम

जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरों पर उत्कृष्ट युवा मंडलों को पुरस्कार

6. विषय आधारित जागरुकता एवं शिक्षा अभियान

नये कार्यक्रम

7. युवा मंडल विकास सम्मेलन

विशेष कार्यक्रम

8. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन

9. देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण पर भाषण प्रतियोगिता

10. बुनियादी कार्यक्रम में क्रम संख्या, 2ए, 2बी एवं 3, 9 और 10 बुनियादी कार्यक्रमों की संख्या उस जिले में ब्लॉकों की संख्या पर निर्भर करेगी। तद्नुसार 623 जिलों को पांच श्रेणियों में बांटा गया है जैसाकि अनुबंध-2 में दी गई तालिका में दिया गया है।

- **ने.यु.के.सं के 12 बुनियादी कार्यक्रमों** से संबंधित **वार्षिक कार्य योजना 2019-20** का संक्षिप्त रूप निम्नानुसार है। तथापि, विस्तृत विवरण के लिए **अनुलग्नक-1** देखें।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोर कार्यक्रमों की कुल संख्या में से कम से कम दो कार्यक्रम महिलाओं के लिए विशेष रूप से आयोजित किए जाने चाहिए।
- यह योजना आरंभ में ग्रामीण युवा मंडल और उनके युवा सदस्यों, जीवन के समस्त क्षेत्रों के युवा और इसके साथ-साथ राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों पर **केन्द्रित** होगी।

भाग - 2

अन्य गतिविधियॉ एवं पहल

1. युवा कार्यक्रमों पर जिला सलाहकार समिति (डीएसीवाईपी)
2. युवा कार्यक्रमों पर राज्य सलाहकार समिति (एसएसीवाईपी)
3. राज्य स्तर पर योजना, समीक्षा एवं अनुवर्ती बैठकें
4. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर इंटर्नशिप कार्यक्रम

भौगोलिक व्याप्ति

- चालू वर्ष के दौरान यह प्रस्तावित किया गया है कि उपरोक्त बुनियादी कार्यक्रमों के जरिये भारत में समस्त राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के 623 जिलों में युवा मंडलों को शामिल किया जाएगा तथा इन युवा मंडलों के युवा सदस्यों और जीवन के हर क्षेत्र से आये युवाओं तक सीधी पहुंच बनाई जाएगी।

- आगे, समन्वय कार्यक्रम के माध्यम से विद्यमान प्रत्येक युवा मंडल और उनके सदस्यों तक और जीवन के हर क्षेत्र से आये युवाओं की जिला स्तर तक सीधी पहुंच बनाई जाएगी तथा उनके **प्रोफाइल को ने.यु.के.सं की वेबसाईट पर अद्यतन किया जाएगा।**

- युवा मण्डलों और जीवन के सभी क्षेत्रों से आने वाले युवाओं को अन्य विभागों, एजेंसियों और सेवा प्रदातों, इसमें रोजगारपरक कौशल को बढ़ाना और उनका अजीविका अर्जन का विकल्प शामिल है, के कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए।

नेयुकेस के कोर कार्यक्रमों का पालन करने के लिए निम्नलिखित का अनुपालन करना होगा।

ए - नेयुकेसं के कोर कार्यक्रमों, योजनाओं, परियोजनाओं और समन्वय गतिविधियों के संचालन के दौरान विशेष सत्र का आयोजन किया जाना चाहिए।

पारदर्शिता को बनाए रखने, व्यय और समय प्रबंधन के **सही और अर्थपूर्ण पर्याय** को बनाए रखने के लिए कड़ा पर्यवेक्षण और निगरानी सुनिश्चित करनी होगी और उत्तरदायित्व की भावना के साथ-साथ विफलताओं और सफलताओं के परीक्षण का आयोजन भी होगा।

सूचना एवं विज्ञापन के प्रचार के लिए प्रत्येक बैनर और आईईसी सामग्री की समुचित डिजाइनिंग नेहरु युवा केन्द्र संगठन द्वारा की जायेगी।

सत्र के निम्नलिखित घटक नेहरु युवा केन्द्र संगठन द्वारा आयोजित की जाने वाले प्रत्येक गतिविधि का एक अभिन्न भाग होगा।

- राष्ट्रीय ध्वज फहराना, राष्ट्रीय गान गाना तथा राष्ट्रीय ध्वज का अभिवादन करना, योग, स्वच्छ एवं श्रमदान प्रत्येक गतिविधि में शामिल करना।
- युवा शपथ - युवा संकल्प **अनुलग्नक-3**

- दिनांक 31 दिसंबर, 2017 को माननीय प्रधान मंत्री जी की मन की बात -सेवा भाव (सेवा की भावना) के साथ काम करने, नई जागृति के लिए अपने विचारों को जागरुक करना, हमारी शिकायतों का समाधान करना और संकल्प से सिद्धि

के लिए सकारात्मक विचारों के साथ काम करना और जातिवाद, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और गंदगी से हमारे महान राष्ट्र को मुक्त बनाने की शपथ लेना।

- **सकारात्मक भारत** – इससे नए भारत का सृजन होगा जैसाकि माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के लिए कल्पना की है और सकारात्मक भारत से प्रगतिशील भारत की यात्रा के ठोस कदम उठाएंगे।

- **मतदाता जागरूकता** – मतदाता जागरूकता नेयुकेसं के केन्द्र बिन्दु क्षेत्र में से एक होना चाहिए। सभी मतदाता युवा लड़के और लड़कियों को अपने मतदाता आईडी कार्ड बनाने के लिए प्रेरित करने हेतु व्यापक मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए जिला प्रशासन से संपर्क स्थापित किया जाना चाहिए। सभी एनवाईवी और नेहरु युवा केन्द्रों के सदस्य, युवा मंडलों के सदस्यों को अपना मतदाता पहचान पत्र बनाना चाहिए।

- **"निष्कामकर्म"**–निःस्वार्थकर्मोंकेलिएजागरूकताऔरशिक्षाअभियान, जिसका अर्थ है बिना किसी फल की उम्मीद किए सेवा करना।

- राष्ट्रीय एकता और सभी धर्मों का सम्मान करने और हिंसा, दूसरों के प्रति घृणा और कड़वाहट की भावना को अलविदा कहने की शपथ लेना।

- केन्द्र सरकार की **राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों** पर संदर्भ व्यक्तियों के साथ बातचीत और किस प्रकार इन योजनाओं का लाभ जनमानस को दिया जा सकता है।

- देशभक्ति, राष्ट्र निर्माण, नेतृत्व, लोकतंत्र को मजबूत बनाना, सामाजिक सद्भाव, भाईचारा और युवाओं की भूमिका को बढ़ावा देनाय टीम भावना और व्यक्तित्व विकास पर **प्रेरक व्याख्याता और विशेषज्ञों** द्वारा चर्चा।

- युवाओं को नेयुकेसं के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना और अभिमुख करना – **फेस बुक, वेबसाइट** और युवा मंडलों से ऑनलाइन संबद्धता और स्वच्छ भारत मिशन का महत्व।

- **मोबाइल ऐप** डाउनलोड करने के बारे में बताना (नरेंद्र मोदी, भुवन, इत्यादि) और अपने विचार, सुझाव, फोटो अपलोड करना।

- राष्ट्र और संगठन, के प्रति निष्ठा अनुपालन और संचार, रिपोर्ट तैयार करना और मीडिया प्रबंधन पर **बातचीत सत्र**।

- **युवा संसद की विषय सूची** –युवा संसदों के आयोजन के दौरान निम्नलिखित विषय सूची के अभिन्न अंग होंगेः

  - स्वच्छता
  - योग
  - नए भारत की संकल्पना और विषयों के लिए संकल्प से सिद्धि
  - कौशल विकास और लिंकिंग
  - जल संरक्षण
  - प्लास्टिक मुक्त गांव
  - श्रमदान

- ग्राम विकास और युवा विकास पर वार्ता
- नशा मुक्ति
- महिला सुरक्षा
- केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम

- युवाओं द्वारा पहचान किए गए मुद्दे जिन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, उन्हें ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर प्राधिकारियों के साथ उनके समाधान के लिए उठाया जाएगा। फिर भी अगर आवश्यकता होगी, अपूर्ण आवश्यकताओं को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा।

- संसदों को युवाओं को सशक्त, सकारात्मक, सार्थक, रचनात्मक और लोकतांत्रिक युवा नेताओं के रूप में सशक्त बनाने के लिए पूरे देश से चयनित युवाओं और सरकार के बीच एक संवाद स्थापित करना चाहिए।

- इन संसदों को युवाओं को माननीय प्रधान मंत्री **'न्यू इंडिया'** के दृष्टिकोण के बारे में संवेदनशील बनाना चाहिए।

बी. नेहरु युवा केन्द्र संगठन कोर कार्यक्रमों की रणनीति और कार्यान्वयन रुपरेखा इन कार्यक्रमों को लागू करते समय निम्नलिखित संस्थागत तंत्र का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए :-

(ए). युवा मंडल - नए युवा मंडलों की स्थापना होगी और उन्हें गतिविधियां आरंभ करने और उनमें भाग लेने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

- नए मंडल, वर्तमान मंडलों का पुनरोद्धार और उनका सुदृढ़ीकरण
- युवा मंडलों का ऑन लाइन नवीकरण और ऑनलाइन नवीन संबद्धता
- युवा मंडलों, नेहरु युवा केन्द्रों, जिला युवा समन्वयकों और युवाओं के लिए सरल दिशानिर्देश दर्शाने वाला एक पेज/साइट अलग से विकसित हो कि किस प्रकार सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं और ने.यु.के. से किस प्रकार संबद्धता प्राप्त की जाए।

बी) कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए युवा मंडलों, और एनवाईवी की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।

- जिला युवा समन्वयकों और संबंधित ब्लॉक के एनवाईवी में विभाजित करेंगे ।
- जिला युवा समन्वयकों और संबंधित ब्लॉक के एनवाईवी में युवा मंडलों की सूची पहले ही तैयार करेंगे ।
- एक साथ वे 05 युवा मंडलों को चिह्नित करेंगे जिन पर किसी एक विशेष कार्यक्रम और गतिविधियों के निष्पादन पर विचार किया जा सकता है।
- इन युवा मंडलों को उस कार्यक्रम जिसके लिए उनका चयन किया गया है, के बारे में बताया जाएगा और प्रेरित किया जाएगा।
- **चयनित युवा मंडल कार्यक्रम के आयोजन** और प्रबंधन पर अपनी प्रस्तुति देंगे और कार्यक्रम के कार्यान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ युवा मंडल का चयन जिला युवा समन्वयक और संबंधित ब्लॉक के एनवाईवी करेंगे।
- जबकि शेष युवा मंडल गतिविधि में भाग लेंगे।

सी) जिला युवा समन्वयक और एनवाईवी के लिए लक्ष्यः प्रत्येक जिला युवा समन्वयकों को निम्नललिखित लक्ष्य दिए गए हैं-

- भारतीय खेल प्राधिकरण के खेल केन्द्रों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और कुछ युवाओं की प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और सम्मानित करने के लिए कुछ निर्धारण किया जाना चाहिए।

- जिला युवा समन्वयक एनवाईवी को मार्गदर्शन, प्रेरित और निगरानी करेंगे।
- राष्ट्रीय और स्थानीय मामलों से संबंधित पांच मुद्दों की पहचान करना।
- नियमित आधार पर श्रमदान गतिविधियां
- पर्यावरण संबंधी गतिविधियां
- जल संरक्षण और संचयन कार्य
- राष्ट्र निर्माण कार्यकलापों के लिए युवाओं को लगाना और एकजुट करना
- कार्य से संतुष्टि
- स्वास्थ्य देखभाल घटक को सभी गतिविधियों में अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

भाग - 3

उप निदेशक तथा जिला युवा समन्वयक की सहायता और मार्गदर्शन द्वारा राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईवी) स्वयंसेवकों तथा ने.यु.के युवा मंडलों और महिला मंडलों की सेवाओं का रणनीतिक उपयोग

- ने.यु.के द्वारा 623 जिलों में 12,000 एनवाईवी स्वयंसेवक तैनात किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिनमें लगभग 10% कम्प्यूटर शिक्षित होंगे तथा जिला नेहरू युवा केंद्रों में ई-गर्वनेंस को प्रोत्साहन और युवा मंडल की प्रोफाइल तथा विवरण को अद्यतन करेंगे।

- यह योजना इस प्रकार बनाई जाये कि तैनात किए गए स्वयंसेवक बल की सेवाओं का इष्टतम उपयोग किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन हेतु उन्हें इस संबंध में चालू ने.यु.के.सं वार्षिक कार्य योजना तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की योजनाओं की उम्मीदों के अनुसार उपरोक्तानुसार चिन्हित फोकस क्षेत्रों में समन्वय, रिपोर्टिंग, मानीटरिंग तथा पहले से मौजूद प्रशिक्षण के अन्य पहलुओं का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

- यह योजना बनाई जार्ये कि एनवाईवी स्वयंसेवक ने.यु.के.सं के बुनियादी कार्यक्रमों, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की योजनाओं, कार्यक्रमों का लक्ष्यकृत समन्वय के लिए ग्राम समूहों के युवा मंडलों की देखभाल करेंगे तथा अपने संबंधित ब्लॉकों अथवा ग्राम समूहों में अनुवर्ती गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए कार्य करेंगे।

- ने.यु.के. के बुनियादी कार्यक्रमों के तहत शामिल किए जाने वाले युवाओं को अपने संबंधित ग्रामों में समान प्रकार के जागरूकता एवं शिक्षा कार्यक्रमों के आयोजन हेतु प्रेरित और सहायता की जानी चाहिए। इस प्रयोजन हेतु, उन्हें चिन्हित मुद्दों पर ने.यु.के.सं के बुनियादी कार्यक्रमों के अनुभवी पदनामित एनवाईवी.स्वयंसेवक तथा संसाधन व्यक्ति सुलभ कराए जाने चाहिए।

- गुणवत्तापूर्ण परिणाम के परिमाणन के क्रम में, प्रत्येक **एनवाइवी स्वयंसेवक को एक लक्ष्य निर्दिष्ट** किया जाना चाहिए। बहरहाल, फोकस उपरोक्तानुसार **चुनिंदा क्षेत्र** पर होना चाहिए।

भाग - 4 समन्वय

ने.यु.के.सं. के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने तथा निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के लिए अधिक कार्यक्रम उपलब्ध कराने के क्रम में, जिला, राज्य, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर अन्य विकास विभागों, एजेन्सियों, गैर सरकारी संस्थाओं के साथ समन्वय और सम्पर्क स्थापित करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय प्रक्रिया आरम्भ करने से पहले नेयुकेस मुख्यालय से उचित माध्यम द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

- आशान्वित परिणामों के साथ जिला ने.यु.के. के कारगर ढंग से काम करने के लिए समुचित कार्य योजना, समन्वय, कार्यान्वयन, पारदर्शिता तथा मानीटरिंग सुनिश्चित करने के लिए **युवा कार्यक्रमों पर जिला सलाहकार समिति** (डीएसीवाईपी) की दो बैठकों का आयोजन 623 जिलों में प्रत्येक में उनके संबंधित जिले के उपायुक्त/कलेक्टर की अध्यक्षता में किया जाना चाहिए।

- उसी तरह, प्रत्येक राज्यों में **युवा कार्यक्रमों पर राज्य सलाहकार समिति** (एसएसीवाईपी) की दो बैठकें माननीय मंत्री युवा कार्य एवं खेल तथा विकास एजेन्सियों के प्रमुखों और अन्य गैर-अधिकारी सदस्यों की अध्यक्षता में आयोजित की जानी चाहिए।

- जैसाकि अवगत है कि उपरोक्त समितियॉ माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार एवं अध्यक्ष ने.यु.के.सं. के अनुमोदन द्वारा उपरोक्त समितियों का पुनःगर्ठन किया गया है, इसलिए इसी आधार पर डीएसीवाईपी तथा एसएसीवाईपी का पुनर्गठन क्रमशः **अनुबंध-4 एवं 5** पर दिए गए विवरण के अनुसार किया जाये।

वे कार्यक्रम जिन्हें ने.यु.के. युवा मंडलों के माध्यम से आयोजित कर सकते हैं।

ने.यु.के.सं. 14 बुनियादी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सुकर बनाने के अलावा, निम्नलिखित न्यूनतम समन्वय गतिविधियों के लक्ष्य प्रत्येक जिला नेहरू युवा केन्द्र के लिए निर्धारित किये गये हैं जो कि जिले में आबंटित एनवाईवी स्वयंसेवक की संख्या पर आधारित है।

समन्वय गतिविधियॉ जिले में **युवा मंडलों**तथा जीवन के सभी भागों से आने वाले युवाओं और एनवाई.वी स्वयंसेवकों की सक्रिय भागीदारी के साथ आयोजित की जानी चाहिए। यह 2019-20 के दौरान स्थानीय संसाधन जुटाने तथा अन्य विभागों एवं एजेन्सियां के साथ सम्न्वय में हासिल किए जाने चाहिए। इस प्रयोजन हेतु, उप निदेशक/जिला युवा समन्वयक को मानीटरिंग के अलावा जिले में अन्य विकास विभागों तथा एजेन्सियों के साथ समन्वय में प्रस्तावित गतिविधियों के सफल कार्यान्वयन हेतु पूर्ण सहायता, मार्गदर्शन तथा एनवाइवी स्वयंसेवक तथा प्रशिक्षित युवा मंडल नेता सुलभ कराने चाहिए।

युवा मंडलों को पुनरूज्जीवित करने के लिए, प्रत्येक जिला नेहरु युवा केन्द्र युवा मंडलों की वर्तमान स्थिति सत्यापन करेंगे और युवा मंडल का प्रोफाइल, सदस्यता विवरण को एक पृष्ठ के **संशोधित निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-6)**में अद्यतन करेंगे। **महिलाओं, एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक तथा दिव्यांगों सहित समाज के सभी वर्गों के सम्यक प्रतिनिधित्व** के साथ नए सदस्यों का नामांकन भी करेंगे। **युवा मंडल विकास सम्मेलन** के पूरा होने के पश्चात यह निरंतर प्रक्रिया होगी। युवा मंडल की अद्यतन की गई प्रोफाइल ने.यु.के.सं वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई सुविधा के जरिये ऑनलाइन अपलोड की जाएगी तथा संशोधन ने.यु.के.सं वेबसाइट पर स्वतः प्रदर्शित होगा।

कार्यक्रम जो अन्य विभागों एवं एजेंसियों और इसके साथ-साथ अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय स्थापित कर जिसमें नेहरु युवा केन्द्र के उप निदेशक/जिला युवा समन्वयक और 623 जिला नेहरू युवा केंद्रों के फील्ड में तैनात एनवाइवी स्वयंसेवकों की सहायता से आयोजित कर सकते हैं।

	कार्यक्रम	**ने.यु.के. को आवंटित प्रति एनवाईवी के अनुसार लक्ष्य**
	युवा मंडल के सदस्यों को रोजगार कौशल विकास प्रशिक्षण के साथ जोड़ना	140 युवा
	संवर्धन एवं सुगम ग्रामीणों को प्रधानमंत्री वित्तीय समावेशन योजनाओं के तहत प्रोत्साहन एवं लाभ सुविधा उपलब्ध कराना। (प्रधानमंत्री जन धन खाता, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाभ, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, मुद्रा बैंक (माइक्रो इकाइयों विकास और पुनः वित्त एजेंसी), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल इंडिया,	300

	मेक इन इंडिया – कौशल भारत, स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और अन्य योजनायें	
	जल निकायों का सृजन	03
	विद्यमान जल निकायों कारखरखाव/मरम्मत/सुधार	06
	तालाबों, प्राकृतिक पेय जल संसाधनों, लघु सिंचाई के चैनलों, पानी टंकों आदि की सफाई, खुदाई, रखरखाव, गाद हटाना और मरम्मत करना,	06
	शव दाह मैदानों और खेल के मैदानों का रखरखाव और मरम्मत	02
	कुंओं की खुदाई/गाद हटाना	05
	गांवों में जल संचयन	05
	गांवों में बोरी बांध का निर्माण	02
	कृषि भूमि मृदा कॉर्ड	300
	स्कूल एवं कॉलेजों की सफाई	05
	पीएचसी/सब सेंटर/अस्पतालों की सफाई	05
	गलियों एवं सामान्य स्थानों की सफाई के लिए स्वच्छता अभियान	05
	जिला एवं राज्य कार्यालय के परिसर/शौचालय एवं कूडेदानों की सफाई	05
	सार्वजनिक मूर्तियों की सफाई	20
	खुले में शौच को समाप्त करने के लिए शौचालयों के निर्माण प्रेरणा परिणाम	20 शौचालय
	बाल वृक्षारोपण को जीवित रखना	300 पौधे
	पर्यावरण की रक्षा के प्रति जागरूकता और सुसाध्य उत्पन्न करने के लिए पॉलिथीन बैग का संग्रहण	3 ग्रामों
	जंगली घास का उन्मूलन (जैसे गाजर घास, लान्टाना, जल कुंभी आदि)	4 ग्रामों
	रक्त दान	30 युनिट
	स्वयंसेवी रक्त दाताओं और उनके रक्त समूहीकरण का नामांकन	50 युवा
	नवयुवतियों को आयरन फोलिक एसिड की गोलियों की पहुंच प्रदान करना	100 किशोर लड़कियॉ
	प्रेरित लड़कियां और उनके माता पिता जिन्होंने 18 साल की होने तक उसकी शादी को स्थगित कर दिया।	40 लड़कियॉ
	सुविधा संस्थागत प्रसव	40 महिला
	गर्भवती माताओं का टीकाकरण	40 गर्भवती माता
	बच्चों का टीकाकरण (0.5 साल)	100 बच्चे
	मोतियाबिंद (नेत्र) का आपरेशन	10 मरीज
	स्वास्थ्य जांच शिविर (डॉट्स, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और अन्य)	3 शिविर
	स्कूलों के बच्चों का नामांकन	80 बच्चे
	बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ	10 गांवों में
	वोटर आईडी कार्ड प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करना	100 व्यक्ति
	युवा नेताओं को नकद रहित लेन देन के लिए प्रशिक्षण	10 प्रति गांव
	स्थानीय आवश्यकता एवं वरीयता के आधार पर अन्य कार्यक्रमों को लक्ष्य के साथ योजना में शामिल किया जा सकता है	

अन्य संभावित कार्य क्षेत्र जहां युवा मंडल को शामिल किया जा सकता है

ने.यु.के. के जागरूक, जानकार तथा प्रेरित ग्रामीण युवाओं को निम्नलिखित कार्य क्षेत्रों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है :

- ग्राम की स्थिति का सर्वेक्षण करना तथा डेटा एकत्रित करना और यह उस विषय क्षेत्र पर केन्द्रित होना चाहिए जिसमें सरकार हस्तक्षेप करना चाहती है अथवा कार्यान्वित कार्यक्रम का प्रभाव पहुंचाना चाहती है।

- सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध कराने, उनके समुचित वितरण (पीडीएस) तथा संबंधित द्वारा समुचित उपयोग हेतु प्रहरी के रूप में कार्य करना।

- सेवा प्रदाताओं पर सामाजिक दबाव समूहों के रूप में काम करना तथा समयबद्ध एवं तत्पर सेवाएं सुनिश्चित करना।
- ग्राम पंचायतों को संयुक्त कार्य योजना तैयार करने में सहायता करना तथा निर्णय करने, कार्यान्वयन और मानीटरिंग की प्रक्रिया में उनकी भूमिका सुनिश्चित करना।

- लड़कियों/महिलाओं के सशक्तीकरण और विकास गतिविधियों हेतु समर्थकारी पर्यावरण एवं समर्थन तैयार करना।

- शांति बनाए रखना, स्वयं सेवाभाव, भाईचारा एवं साम्प्रदायिक सौहार्द स्वयंसेवकों को प्रोत्साहित करना।

- संकट और आपदाओं के समय पर ग्रामीणों की स्वैच्छिक सहायता करना।

- ग्रामों में सामाजिक कार्य पहल करना जो संयुक्त ग्राम समुदाय सहभागिता तथा कार्य द्वारा स्वेच्छापूर्वक प्रारंभ किए जा सकते हैं।

- जल एवं पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केन्द्रित करते हुए समुदाय कार्य शिविर।

- मद्यपान और नशाखोरी, एचआईवी/एड्स को संबोधित करना।

कोर कार्यक्रमों वर्ष 2019-20 के लिए सामान्य अनुदेश

नेहरू युवा केन्द्र संगठन के सभी जिला और राज्य .कार्यालयों को सुनिश्चित करना चाहिए कि :

1. जिला एवं राज्य नेयुकेसं, एनएसएस, एनसीसी, बीएसजी, एचएसजी, ईको क्लब, रेडक्रास सोसायटी के साथ विभिन्न कार्यक्रमों, कार्यकलापों और अन्य प्रचालन क्षेत्रों में प्रभावी अभिसारण, स्फूर्ति स्थापित करेगी। इस संबंध में कार्य योजना में नेयुकेसं एवं उपरोक्त युवा संगठनों के बीच प्रत्येक कार्यक्रम के लिए अभिसारण/तालमेल का निर्धारण किया गया है। नेयुकेसं के कोर कार्यक्रमों और समन्वय गतिविधियों में सहभागिता के स्तर को मासिक प्रगति रिपोर्ट में समन्वय एजेंसी के कॉलम में दर्शाया जायेगा।

2. युवाओं के सशक्तीकरण और विकास के लिए विकासात्मक मंत्रालयों, विभागों, एजेंसियों के साथ परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए सम्पर्क स्थापित किये जायें, जिसमें **सामाजिक एवं वित्तीय क्षेत्रों के लिए माननीय प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण कार्यक्रम, न्यू इंडिया संकल्पना के लिए संकल्प से सिद्धि, स्वच्छ भारत अभियान गतिविधि, जल संरक्षण, स्वच्छता और रखरखाव के लिए सामाजिक परिसंपत्तियों को अपनाना, आपदा प्रबंधन, बाजार क्षमता के साथ रोजगारपरक कौशल विकास प्रशिक्षण और स्वरोजगार पर ध्यान केन्द्रित किया जाये।**

3. उत्कृष्ट युवा मण्डल पुरस्कार योजना के अन्तर्गत जिन युवा मंडल को विगत दो वर्षों में पुरस्कार दिया जा चुका है वे इस वर्ष आवेदन के पात्र नहीं होंगे।

4. जिला नेहरू युवा केन्द्र से सम्बद्ध युवा मंडल ही उत्कृष्ट युवा मंडल पुरस्कार योजना के अन्तर्गत आवेदन करने के पात्र होंगे। आवेदक युवा मंडल की लेखा परीक्षा रिपोर्ट अनिवार्य होगी।

5. जिला और राज्य स्तरों पर उत्कृष्ट युवा मंडल का चयन और पुरस्कृत करने के लिए **समय सीमा का पालन सख्ती के साथ किया** जाना चाहिए। राज्य निदेशक को सुनिश्चित करना चाहिए कि पुरस्कार प्राप्त करने वालों का चयन केवल नामित चयन समिति द्वारा ही किया जाता है।

6. जिला नेहरू युवा केन्द्रों को वार्षिक कार्य योजना की प्रतियां ने.यु.के.सं., मुख्यालय प्रेषित नहीं करनी चाहिए। राज्य निदेशक द्वारा राज्य स्तर पर वार्षिक कार्य योजना राज्यवार संकलित कर ने.यु.के.सं., मुख्यालय में प्रस्तुत की जाएंगी।

7. राज्य निदेशकों द्वारा वार्षिक कार्य योजना के निर्धारित भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों की उपलब्धियों की समीक्षा नियमित रूप से की जाएगी।

8. राज्य निदेशकों द्वारा अत्यधिक सतर्कता बरती जानी चाहिए कि :

- कुल आवंटित बजट की 90 प्रतिशत राशि और संगत कार्यक्रम 31 दिसम्बर, 2019 तक पूरे किए जाने चाहिए। तथापि, यह प्रत्येक राज्य/केन्द्र को जारी बजट की मात्रा पर निर्भर करेगा और तदनुरूप त्रैमासिक भौतिक और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए तथा संबंधित जिला/राज्य निदेशक द्वारा हासिल किए जाने चाहिए।

- केवल अपवाद स्थितियों में ही अंतिम तिमाही में 10 प्रतिशत से अधिक बजट का उपयोग किया जा सकता है, जो वेतन एवं लेखा कार्यालय राज्य अथवा ने.यु.के.सं. मुख्यालय द्वारा आवंटित बजट जारी करने में विलम्ब के कारण हो सकता है।

9. दिशानिर्देशों के अनुसार, महात्मा गांधीजी की 150वीं जयंती का आयोजन किया जाना चाहिए। पूरे वर्ष में अधिक से अधिक संख्या में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए स्वच्छता एवं श्रमदान कार्यक्रम किया जाना चाहिए। दिशा-निर्देश और समय सीमा के अनुसार स्वच्छता पखवाड़ा और कार्य शिविर का आयोजन किया जाना चाहिए।

10. स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम (एसबीएसआई) 2.0 और जल शक्ति अभियान को पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से शुरु किया गया है। युवाओं की अधिकतम संख्या/युवाओं (एक टीम में अधिकतम 10 सदस्य) को 50 घंटे करने के लिए स्वच्छता इंटर्न के रुप में खुद को पंजीकृत करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। अपने-अपने गांवों/स्थानों में स्वच्छता गतिविधियां। पिछले वर्ष की तरह, दिशानिर्देश और समय-सीमा के अनुसार पुरस्कारों का चयन किया जाना चाहिए।

11. आगे, यह नोट करें कि जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, कुल जारी कार्यक्रम बजट में :

- प्रत्येक कार्यक्रम के तहत, कुल प्रतिभागियों/लाभार्थियों का 30 प्रतिशत महिलाएं समाज के होनी चाहिए ताकि यह दर्शाया जा सके कि 30 प्रतिशत बजट युवा महिलाओं पर खर्च किया गया है।

- इसी प्रकार कुल प्रतिभागियों/लाभार्थियों का 20 प्रतिशत **एससी/एसटी** होने चाहिए ताकि यह दर्शाया जा सके कि 20 प्रतिशत बजट एससी/एसटी युवाओं पर खर्च किया गया है।

- उचित सावधानी बरती जानी चाहिए कि कार्यक्रम बजट के प्रतिभागियों/लाभार्थियों का शेष 50 प्रतिशत अल्पसंख्यक, ओबीसी तथा सामान्य पर खर्च किया गया है।

- उपरोक्त वर्णित श्रेणियों में विकलांग व्यक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

- जिला स्तर के कार्यक्रमों में सभी ब्लॉकों से विभिन्न वर्गों के युवाओं को अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।

12. बुनियादी कार्यक्रम और उसकी निधि को किसी अन्य गतिविधि या कार्यक्रम की ओर **नहीं मोड़ा जाना चाहिए,** चूंकि वे प्रतिबद्ध कार्यक्रम घटक होते हैं।

13. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कुल कार्यक्रमों की कुल संख्या में से कम से कम **दो कार्यक्रम महिलाओं के लिए** विशेष रुप से आयोजित किए जाएंगे।

14. उप निदेशक और युवा समन्वयक ब्लॉकों अथवा ग्राम समूहों का चयन इस प्रकार करें कि जिले में युवा मंडलों के बीच कार्यक्रमों का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके। ये पिछले वर्ष में चुने गए जैसे हो या नहीं हो सकते हैं।

15. खेल सामग्री को इस तरह से वितरित किया जाना चाहिए कि सभी नेयुके युवा मंडलों को 4-5 साल के अंतराल के बाद खेल सामग्री मिल सके।

16. विषय की दृष्टि से, वर्ष के सभी कार्यक्रम और गतिविधियां **एक नेमी कवायद की बजाय** एक मिशन होनी चाहिए।

17. कार्यक्रम इस प्रकार आयोजित किए जाने चाहिए कि उनमें अधिक से अधिक संख्या में युवा मंडल भाग ले सकें।

18. कार्यक्रमों में युवा मंडलों से **एक ही युवा एवं युवा मंडलों को बार-बार भाग लेने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए** जब तक कि उस कार्यक्रम विशिष्ट में रूप से युवा मंडल के अध्यक्ष/सचिव या अन्य पदाधिकारी की अपेक्षा नहीं करता है।

19. उपलब्धियां **मासिक प्रगति रिपोर्ट** और विशिष्ट रूप से तैयार की गई **संचयी प्रगति रिपोर्ट में,**निर्धारित भौतिक लक्ष्यों के आधार पर, दर्शाई जानी चाहिए <u>आयोजित गतिविधियों की कुल संख्या/आज की तिथि तक उपलब्धियां अर्थात पिछले महीनों तथा चालू माह की गतिविधियां का योग।</u> उन्हें निम्नलिखित ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए :

- जिला ने.यु.के. से मंडल कार्यालय - प्रत्येक माह की 27 तारीख
- राज्य कार्यालय से ने.यु.के.सं. मुख्यालय - प्रत्येक माह की 29 तारीख

20. जिला युवा समन्वयक/उप निदेशक तथा राज्य निदेशक बुनियादी कार्यक्रम तथा समन्वयक गतिविधियों की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह निम्न प्रारूपों में भेजेंगे :

कोर कार्यक्रमों एवं समन्वय गतिविधियों की प्रगति रिपोर्ट

स्तर	**बुनियादी कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट**	**अनुलग्नक**
जिला ने.यु.के.	मासिक प्रगति रिपोर्ट	अनुलग्नक-7
जिला ने.यु.के.	संचयी प्रगति रिपोर्ट	अनुलग्नक -7-ए
राज्य कार्यालय	मासिक प्रगति रिपोर्ट	अनुलग्नक -8
राज्य कार्यालय	संचयी प्रगति रिपोर्ट	अनुलग्नक -8-ए

स्तर	**समन्वय गतिविधियों की प्रगति रिपोर्ट**	**अनुलग्नक**
एनवाईवी स्वयंसेवक	मासिक प्रगति रिपोर्ट	अनुलग्नक-9
जिला ने.यु.के.	मासिक प्रगति रिपोर्ट	अनुलग्नक -9-ए
जिला ने.यु.के.	संचयी प्रगति रिपोर्ट	अनुलग्नक -9-बी
राज्य कार्यालय	मासिक प्रगति रिपोर्ट	अनुलग्नक -9-सी
राज्य कार्यालय	संचयी प्रगति रिपोर्ट	अनुलग्नक -9-डी

- राज्य निदेशक को जिला ने.यु.के. से प्राप्त भौतिक लक्ष्य की मिलान जांच वार्षिक कार्य योजना के अनुसार उस राज्य हेतु निर्धारित लक्ष्यों के साथ करनी चाहिए।

21.राज्य कार्यालयों को संकलित एमपीआर (मासिक एवं संचयी/प्रगतिशील प्रगति रिपोर्ट) निर्धारित प्रारूपों में मुख्यालय को श्री एम.पी. शर्मा, सहायक निदेशक (कार्यक्रम) के नाम में, डाक तथा ई-मेल regularprogramme@gmail.com अथवा mpsharmanyks@yahoo.co.inपर दोनों प्रकार से प्रेषित करनी चाहिए।

22.राज्य निदेशकों को ऐसे जिला ने.यु.के. की सूची भी प्रस्तुत करनी चाहिए जिनके द्वारा एमपीआर राज्य स्तर की एमपीआर के साथ ने.यु.के.सं मुख्यालय को प्रस्तुत नहीं की गई है तथा चूककर्ता केन्द्रों के विरुद्ध महानिदेशक को सूचित करते हुए कार्यवाही की जानी चाहिए। जिला ने.यु.के. को रिपोर्ट सीधे मुख्यालय नहीं भेजनी चाहिए।

23.यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, सांसद, मानव संसाधन विकास पर संसदीय स्थाई समिति के सदस्य, विधायक, विधान परिषद सदस्य, मेयर, पार्षद और विकास विभागों तथा एजेसिंयों के प्रमुख कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाए।

24.कार्यक्रमों का नियमित अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन (मात्रात्मक तथा गुणात्मक) तत्संबंधी अनुवर्ती कार्यवाही सहित किया जाना चाहिए।

25.अन्य **एजेन्सियों से जुटाई गई निधियां समन्वय कार्यक्रम के तहत एमपीआर `स में स्पष्ट रूप से दर्शाई**जानी चाहिए।

26. सभी युवा मंडलों को अपनी वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिसमें उन कार्यक्रमों का ब्यौरा दिया जाना चाहिए, जो अपने स्वयं के संसाधनों से आयोजित किए जा सकते हैं। युवा मंडल को अपने क्षेत्रों में युवा ग्रामीणों तथा ग्राम समुदायों के हितार्थ कार्यक्रमों के नियमित आधार पर आयोजन का जिम्मा लेना चाहिए। इस कार्य को एनवाईवी स्वयंसेवकों की सहायता से पूरा किया जाना चाहिए।

27. लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित गतिविधियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए :

ए. - समाज के सामाजिक रूप से वंचित और उपेक्षित युवा वर्गों का निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए युवा मंडलों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

बी. -समाज के सभी सामाजिक रूप से वंचित वर्गों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएं, शारीरिक दिव्यांगता इत्यादि) की सदस्यता हेतु विशेष अभियान एक मिशन के तौर पर चलाया जाना चाहिए।

सी.- नए युवा मंडलों का गठन नियमित रूप से किया जाना चाहिए। जिला ने.यु.के. के साथ नई संबद्धता के लिए, आवेदक युवा मंडल को ने.यु.के.सं वेबसाइट पर वर्णित ऑनलाइन संबद्धता प्रक्रिया का विकल्प चुनने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

डी.- **यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा** कि ऑफलाइन संबद्ध युवा मंडल/महिला मंडलों का विवरण और प्रोफाइल संशोधित प्रोफार्मा भरवाकर अद्यतन की जानी चाहिए। यह **अनुलग्नक-6** में दिया गया है। उसकी एक प्रति जिला ने.यु.के. कार्यालय अभिलेख में रखी जानी चाहिए। इस प्रकार प्राप्त संशोधित युवा मंडल/महिला मंडल प्रोफाइल तथा विवरण ने.यु.के.सं की वेबसाइट पर उपलब्ध सुविधा के जरिये ऑनलाइन अद्यतन की जानी चाहिए।

ई.- युवा मंडलों एवं महिला मंडलों तथा उनके सदस्यों की प्रोफाइल समय समय पर ऑनलाइन अद्यतन की जानी चाहिए।
एफ.- युवा मंडलों एवं महिला मंडलों के सदस्यों को ग्राम और आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय कार्यक्रमों द्वारा समुदाय प्रासंगिक संदेश फैलाने एवं राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय महत्व के दिवसों के आयोजन हेतु सुसाध्यकारकों और समकक्ष शिक्षकों के रूप में निखारा जाना चाहिए।

जी.- राज्य निदेशकों तथा जिला युवा समन्वयकों को पंचायत भवन एवं समुदाय भवनों में बैठकें तथा कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए पंचायती राज विभागों अथवा संस्थानां के प्रमुखों और ग्राम प्रधानों के पास जाना चाहिए तथा पंचायत विकास कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में ने.यु.के. के संबद्ध युवा मंडलां एवं महिला मंडलों का सक्रिय सहयोग मांगना चाहिए।

एच. शिक्षा विभाग के प्रमुखों तथा स्थानीय स्कूलों के प्रधानाचार्यों से भी स्कूल भवन में पढ़ाई के समय के बाद, अवकाश के दिनों में और छुट्टियों में बैठकें तथा कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए अनुरोध किया जाना चाहिए।

आई.- स्वास्थ्य तथा आईसीडीएस विभागों के प्रमुखों, आशा, आंगनवाड़ी तथा एएनएम कार्यकर्ताओं को ने.यु.के. ग्राम युवा मंडलां एवं महिला मंडलों तथा परामर्शदाता युवा मंडल/महिला मंडलों के साथ समन्वय में स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, बाल देखभाल, पोषण तथा संतुलित आहार किशोर लड़कियों के लिए फोलिक एसिड उपलब्ध कराने संबंधी गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु अनुरोध किया जाना चाहिए।

28. प्रत्येक बुनियादी कार्यक्रम पूरा करने के बाद, केन्द्र उस कार्यक्रम का अभिलेख उस हेतु खोली गई संचिका में अनुरक्षित करना सुनिश्चित करेगा। उदाहरण के लिए, "जिला युवा सम्मेलन की संचिका में उस वर्ष जिले में संचालित जिला युवा सम्मेलन में अभिलेख रखा जाएगा। अभिलेख के अनुरक्षण में निम्नलिखित शामिल होगा :

(i) युवा मंडल (जहां कार्यक्रम आयोजित किया जाना है) की बैठक का संक्षिप्त विवरण, जिसमें जिला युवा समन्वयक ने कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया तथा कार्यक्रम के आयोजन हेतु उप समितियों का गठन किया।

(ii) युवा मंडलों को प्रेषित परिपत्र/पत्र की प्रति जिसमें सदस्यों को कार्यक्रम के आयोजन तथा उसमें भाग लेने की सूचना दी गई है।

(iii) कार्यक्रम की अनुसूची जिसमें सत्र/स्थान तथा संभार व्यवस्थाएं दर्शाई गई हैं।

(iv) प्रतिदर्श मुद्रित कार्यक्रम परिपत्र की प्रति।

(v) प्रतिभागियों की सूची, पता, फोन नम्बर, ई-मेल, मोबाईल नं., ब्लड ग्रुप इत्यादि सहित, प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए।

(vi) प्रतिभागियों की उपस्थिति, प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा हस्ताक्षरित।

(vii) कार्यक्रम की विस्तृत वर्णनात्मक रिपोर्ट तथा वास्तविक तिथि जब आयोजित किया गया। परिवर्तन, यदि कोई हो, के कारण भी दर्ज किए जाने चाहिए।

(viii) कार्यक्रमों की मूल्यांकन रिपोर्ट।

(ix) कार्यक्रमों की प्रेस कवरेज, कतरनें तथा फोटोग्राफ्स।

(x) केन्द्र और ने.यु.के.सं के उच्चतर अधिकारियों, जिला प्रशासन, अन्य सरकारी/गैर-सरकारी विभागों, एजेन्सियां, युवा मंडलों इत्यादि के बीच पत्राचार/पत्र/परिपत्रों की प्रतियां।

29. (xi) आमंत्रित प्रतिष्ठित व्यक्तियों (माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, सांसद, मानव संसाधन विकास पर संसदीय स्थाई समिति के सदस्य, विधायक, विधान परिषद सदस्य, मेयर, पार्षद और विकास विभागों तथा एजेसिंयों के प्रमुख के बीच पत्राचार/पत्रों की प्रतियां।

30. राज्य निदेशक को हर बार दौरे पर इन संचिकाओं की जांच/निरीक्षण करना चाहिए तथा अपनी टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए। लक्ष्यातीत उपलब्धियां/कमियों की ओर संकेत किया जाना चाहिए तथा अगले उच्चतर प्राधिकारी को सूचना दी जानी चाहिए।

बुनियादी कार्यक्रम

1. ब्लॉक स्तर पर युवा मण्डल विकास सम्मेलन

इस कार्यक्रम का उद्देश्य नये मंडल बनाना और समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व के साथ युवा मंडलों के मौजूदा नेटवर्क को मजबूत करना है। मंच का उपयोग युवा संबंधी मुद्दों को पेश करने और उजागर करने के लिए भी किया जाएगा, जिन्हें स्वयंसेवकों की भावना के साथ संयुक्त रूप से देखे जाने की आवश्यकता है।

उद्देश्य

- निष्क्रिय युवा मंडलों को सक्रिय करने के लिए, नए मंडलों का गठन करना और समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व के साथ युवा मंडलों के मौजूदा नेटवर्क को मजबूत करना।

- ग्रामीण युवा नेताओं को स्वयं को व्यक्त करने, अनुभव साझा करने और युवा मंडल आंदोलन को मजबूत करने और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कार्यक्रमों का अवसर और मंच प्रदान करने के लिए अवसर उपलब्ध करना है।

- नेयुकेसं वार्षिक कार्य योजना पर युवाओं को उन्मुख करने के साथ-साथ केंद्र सरकार के राष्ट्रीय फ्लैगशिप कार्यक्रमों और योजनाओं का प्रचार करना है।

सम्मेलन की अवधिः 01 दिन
स्तरः ब्लॉक
प्रतिभागियों की संख्याः न्यूनतम 80-100 (पुरुष और महिला)। ब्लॉक के सभी हिस्सों से प्रत्येक युवा मंडल के 2-3 युवा नेता
समय सीमा : दूसरी तिमाही

प्रति कार्यक्रम बजटः रु 15,000 / - (फंड का उपयोग चाय और नाश्ता, दोपहर के भोजन, आईईसी सामग्री और अन्य विविध खर्चों के लिए किया जाना चाहिए)।

कार्यक्रमों की संख्याः निम्न तालिका में दिए गए मानदंडों के आधार पर

श्रेणी	कार्यक्रमों की संख्या प्रति जिला @ रुपये 15,000/-	राशि (रुपयों में)
1-3 ब्लॉक के साथ जिले	1	15,000
4-5 ब्लॉक के साथ जिले	2	30,000
6-10 ब्लॉक के साथ जिले	4	60,000
11-15 ब्लॉक के साथ जिले	6	90,000
16 ब्लॉक से अधिक के साथ जिले	7	1,05,000

जिला युवा समन्वयकों द्वारा कार्रवाईः

कार्यक्रम को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए, जिला युवा समन्वयक निम्नलिखित कार्रवाई शुरू करेंगेः

क) ब्लॉक के सभी युवा मंडल/गांवों को संबंधित ब्लॉक के एनवाईवी के बीच आवंटित किया जाना चाहिए।

ख) नए युवा मंडलों के गठन के लिए और निष्क्रिय युवा मंडलों को सक्रिय करने के लिए ब्लॉकों को एनवाईवी को दिया जाना चाहिए। सम्मेलन के युवा नेता इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में उन्हें सुविधा प्रदान करेंगे।

कार्यान्वयन रणनीति

- नेयुके युवा मंडलों में से प्रत्येक से 2-3 युवा नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा।
- इन युवा नेताओं को नए मंडल बनाने और निष्क्रिय युवा मंडलों को सक्रिय करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस संबंध में, ब्लॉक के संबंधित एनवाईवी की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है।
- उन्हें गांवों में युवा नेताओं, ग्राम पंचायत प्रधानों और सदस्यों और अन्य विचारक नेताओं के साथ मिलना और बातचीत करना चाहिए।
- वे नेयुकेसं और इसके कार्यक्रमों और गतिविधियों, उनके विकास के अवसरों के बारे में भी जानकारी का प्रसार करेंगे जो जिला नेयुके अन्य विभागों और एजेंसियों के समन्वय से प्राप्त करेगा।

भाग-1

युवा मंडलों का गठन, और निष्क्रिय युवा मंडलों को सक्रिय करना, प्रोफाईल अद्यतन करना और इसे ने.यु.के.सं. की वेबसाईट पर अपलोड करना।

- नए युवा मंडल उन गांवों में बनाए जाएंगे जहां युवा मंडल मौजूद नहीं है अथवा काफी पहले बनाए गए थे परंतु अब क्रियाशील नहीं हैं। इसी प्रकार विद्यमान निष्क्रिय युवा मंडलों को सक्रिय बनाया जाएगा।
- उपरोक्त के अलावा युवा नेता एनवाईवी की वर्तमान स्थिति की जांच भी करने में युवा मंडलोंकी सहायता करेंगे औरयुवा मंडलां प्रोफाइल, सदस्यता विवरण को निर्धारित संशोधित प्रारूप **अनुलग्नक -6** में विवरण भी अद्यतन करेंगे।
- तदुपरांत, प्रत्येक जिला ने.यु.के. प्रत्येक कार्यक्रम पूरा होने के बाद युवा मंडलां की प्रोफाइल ने.यु.के.सं वेबसाइट www.nyks.nic.inपर उपलब्ध कराई गई सुविधा के जरिये ऑनलाइन अद्यतन करेगा। यह ने.यु.के.सं वेबसाइट पर स्वतः प्रदर्शित होगा।
- युवा मंडल बनाने के लिए आगे आने वाले युवा समूहों को ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो ने.यु.के.सं की वेबसाइट पर पहले से उपलब्ध हैं। आवेदक युवा मंडल को ने.यु.के. संबद्धता क्रमांक ऑनलाइन

प्रदान किया जाएगा। ने.यु.के. द्वारा नवगठित युवा मंडलों को संबद्धता क्रमांक कार्यक्रम के अंतिम दिन प्रदान किया जाएगा।

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक तथा दिव्यांग सहित समाज के सभी वर्गों के समुचित प्रतिनिधित्व के साथ अधिकाधिक संख्या में नए सदस्य बनाए जाएंगे। युवा मंडलों में महिलाओं को शामिल करने पर विशेष बल दिया जाएगा।

भाग-2

ने.यु.के.सं. की वार्षिक कार्य योजना 2019-20 पर चर्चा करना और साझा करना एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रचार प्रसार करना तथा मार्गनिर्देशिका की अन्य विकासात्मक कार्यक्रमों को केन्द्रित क्षेत्रों में कार्यान्वित करना।

युवा मंडल आधारित गांव के एक नेटवर्क के माध्यम से इन योजनाओं के बारे में युवाओं को जागरुक और एकत्रित करना होगा। उन्हें इन योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रेरित करना होगा और इन योजनाओं को अपनाना और इन योजनाओं का लाभ पाने के लिए दूसरों को प्रेरित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

2. युवा नेतृत्व तथा समुदाय विकास पर प्रशिक्षण (टीवाईएलसीडी)

यह व्यापक रूप से देखा गया है कि युवाओं को जब नेतृत्व के बुनियादी गुणों से सज्जित किया जाता है, तो वे एक ओर तो गांव के हालात सुधारने की जिम्मेदारी लेते हैं, नेतृत्व करते हैं दूसरी वे अपने ग्राम समुदायों के विकास के लिए उत्प्रेरक अभिकर्ताओं के रूप में काम करते हैं। यह कार्यक्रम ग्रामीण युवाओं को साथ मिलकर, अपने अनुभव साझा करने, विचारों का आदान-प्रदान करने तथा समुदाय कल्याण एवं राष्ट्र निर्माण गतिविधियां प्रारंभ करने का अवसर प्रदान करता है। यह ने.यु.के.सं. का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है इसलिए पूर्ण गंभीरता के साथ आयोजित किया जाना चाहिए। इस आधार-वाक्य के साथ ने.यु.के.सं यह कार्यक्रम प्रारंभ करने का इच्छुक है।

उद्देश्य

- युवा लोगों द्वारा नेतृत्व संभालने के लिए उनकी क्षमताओं का वर्धन करना ताकि वे एक सार्थक जीवन हेतु दूसरों की सहायता करने के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकें।

- सशक्त चरित्र, स्वअनुशासन, एकता, सकारात्मक सोच राष्ट्र के प्रतिबद्धता की भावना लाना और राष्ट्र निर्माण के संदेश को प्रचारित करने की सशक्त इच्छा लाना।

- समर्पित कॉर्डर, प्रेरित एवं प्रशिक्षित युवा नेताओं की स्थापना करना जोकि राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में शामिल होने के इच्छुक हों।

व्यापक क्षेत्र

इस कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित व्यापक क्षेत्र शामिल किए जाएंगे तथा दस्तावेज में **चिन्हित क्षेत्रों पर विशेष बल** दिया जाएगा। तथापि, स्थानीय संदर्भ व्यक्तियां तथा युवा नेतृत्व एवं समुदाय विकास में विशेषज्ञों के साथ परामर्श से उनमें और सुधार किया जा सकता है।

युवाओं को **केन्द्रित क्षेत्रों** में शामिल करने के लिए प्रेरित करना क्योंकि इससे उन्हें अन्य लोगों के लिए कार्य करने में प्रसन्नता होगी। प्रशिक्षित युवा सामुदायिक विकास एवं समाज कल्याण गतिविधियों में स्थानीय नेतृत्व प्राप्त कर सकेगें।

देशभक्ति, नैतिक मूल्यों, चरित्र निर्माण, महिलाओं की गरिमा के लिए सम्मान, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं एकता के साथ-साथ निम्नलिखित विषयों पर उनके समग्र विकास हेतु विख्यात संदर्भ व्यक्तियों को युवाओं के साथ बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

विषय-वस्तु संबंधी सुझाव

जिला नेहरु युवा केन्द्र प्रत्येक वर्ष गतिविधियों की अनुसूची तैयार करेगें। जिसमें नाश्ते, दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन, कैम्प फायर, सांस्कृतिक गतिविधियों का समय भी निर्धारित किया जाए।

- नेशन फर्स्ट - केरेक्टर मस्ट की संकल्पना

- ग्रामीण समुदायों के युवाओं की सामाजिक गतिशीलता को समझने के लिए जागरुकता लाना।

- उनके व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक कौशल और तकनीक उपलब्ध कराना और विकासात्मक गतिविधियों के लिए समुदाय को संगठित करना।

- युवा समूहों को संगठित करने तथा युवा मंडलों का प्रबंधन और स्थापना सक्षम बनाना।

- भारतीय संस्कृति और परंपरा का ज्ञान, भारतीय गांवों, पंचायती राज, नैतिक मूल्यों, नागरिक शिक्षा, भारत में सामान्य रुप से प्रगति की है और अपने स्वयं के समुदाय में प्रगति का दायरा बढ़ाया है।

- नवगठित युवा मंडल के युवा नेताओं/पदाधिकारियों को आगे नेतृत्व प्रशिक्षण देना।

- ग्रामीण युवा विकास और सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों और जिले एवं मंत्रालयों और अन्य विकासात्मक एजेंसियों की योजनाओं पर चर्चा करना तथा जानकारी देना जिन्हें वे आयोजित कर सकते हैं या भाग ले सकते हैं।

- नेतृत्व – अवधारणा, गुण, शैली, कौशल, भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्व

- संचार कौशल – कैसे लोगों के साथ बातचीत और भाषण देना।

- कम्प्यूटर साक्षरता बढ़ाना

- आईटी और सामाजिक मीडिया का प्रयोग – व्हाटअप, फेस बुक, ट्विटर, यूट्यूब का प्रयोग और किस प्रकार उपयोगी एप्लिकेशन को डाउनलोड करें।

- साइबर कानूनों की महत्वपूर्ण जागरुकता और समझ बनाना।

- न्यू इंडिया के लिए संकल्प से सिद्धि पर जानकारी देना और जागरुकता उत्पन्न करना।

- वित्तीय और सामाजिक समावेशन के लिए प्रधानमंत्री फ्लैगशिप कार्यक्रमों को शामिल करना।

- जीवन के एक तरीके के रूप में योग

- व्यक्तित्व विकास और जीवन कौशल

- कार्यक्रम प्रबंधन : प्रक्रिया, बाधाएं, भाषण कैसे बनाये

- अच्छी नागरिकता : नागरिक शिष्टाचार और नैतिकता और मूल्यों के प्रति सम्मान

- जिम्मेदार नागरिक : भारतीय होने के नाते सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना

- **अन्य विभागों और एजेंसियों के साथ समन्वय – क्या, क्यों और कैसे?**

- **पाठ्यक्रम में भारत के संविधान पर युवाओं को शिक्षित करने के लिए आधे घंटे का कार्यक्रम जोड़ा जा सकता है। इसमें राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार और कर्त्तव्यों और संविधान की प्रस्तावना को शामिल किया जा सकता है।**

किसी भी सामाजिक विषय पर समूह चर्चा को भी समय-समय पर शामिल किया जाए।

बुनियादी सुविधाओं और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जीवन कौशल और सॉफ्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को शामिल किया जाना चाहिए।

सामुदायिक सेवा को ध्यान में रखते हुए युवाओं को उनकी सामाजिक जिम्मेदारियों को समझाने के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए।

सामुदायिक विकास : अवधारणाएं प्रक्रियाः ग्रामीण युवाओं और ग्राम समुदाय के उन्नयन के लिए विकासात्मक एजेंसियों और विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए रणनीति

अवधि : 03 दिन (रात्री विश्राम आवश्यक)

प्रति कार्यक्रम प्रतिभागियों की संख्या : 40(ने.यु.के. युवा मंडल से युवा नेता तथा समाज के समस्त भागों के युवा जिनके पास एन्ड्रॉयड फोन हो)। शामिल युवा मंडलों को अन्य टीवाईएलसीडी में दोहराया नहीं जाना चाहिए।

- कैंप में भाग लेने वाले प्रतिभागी सदस्य को भारतीय संविधान की आधारभूत जानकारी होनी आवश्यक है।

प्रत्येक जिले में कार्यक्रमों की संख्या :2 प्रति जिला

समय सीमा : जून, 2019 से सितम्बर, 2019

कार्यान्वयन रणनीति

- टीवाईएलसीडी आयोजित करने संबधी पूरी जिम्मेदारी संबंधित जिला युवा समन्वयक की होगी। तथापि, जिला युवा समन्वयक को स्थानीय युवा मंडलों तथा पदनामित एनवाईसी स्वयंसेवकों की सहायता लेनी चाहिए।

- जिला युवा समन्वयकों को प्रशिक्षण प्रदाता अभिकरणों तथा विशेषज्ञों और संदर्भ व्यक्तियों के समूह की पहचान करनी चाहिए, जो प्रशिक्षण एवं विकास/अनुकूलन/आईईसी सामग्री उपलब्ध करवा सकते हैं और अथवा टीवाईएलसीडी की विषय-वस्तु में वर्णित मुद्दों तथा विषयों पर खरीदने में मार्गदर्शन और सहायता कर सकते हैं और स्थानीय विशेषज्ञों के साथ परामर्श से आगे और सुधार कर सकते हैं। एक सार्थक और कारगर क्षमता निर्माण अभ्यास के लिए इन दोनों विकल्पों का मिश्रण भी किया जा सकता है।

- जिला युवा समन्वयकों को कार्यक्रम के आयोजन हेतु स्थान का चयन करना चाहिए, जहां प्रशिक्षण गतिविधियां सफलतापूर्वक संचालित की जा सकें। उदाहरण के लिए, ऐसा स्थान जहां पुरूष और महिला प्रतिभागियों के रहने खाने की सुविधा, प्रशिक्षण अवसंरचना, शिक्षण साधन और उपकरण, बिजली तथा पावर बैकअप, पानी, सफाई और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं।

- यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि उचित इंटरनेट/वाईफ़ाई सुविधा होनी चाहिए। कम्प्यूटर साक्षरता प्रदान करने के लिए जरुरी पर्याप्त संख्या में नवीनतम कॉन्फिगरेशन के कम्प्यूटर उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
- चुंकि **40** युवा भाग लेगें इसलिए यह सुनिश्चित करना जरुरी है कि निर्बाध बिजली प्रदान की जाये। बिजली या बिजली की अनुपलब्धता के मामले में शिविर में जनरेटर बैकअप प्रदान किया जाना चाहिए।

- पहचान किए गए प्रशिक्षण अभिकरणों तथा संसाधन व्यक्तियों के समूह, प्रशिक्षण प्रदाताओं को इस टीवाईएलसीडी के उद्देश्यों, उम्मीदों तथा इसके परिणामों का संक्षिप्त ब्यौरा, पर्याप्त अग्रिम में, उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रशिक्षक आवंटित विषय तथा मुद्दों के विशेषज्ञ हैं तथा इस विशेषज्ञता को युवा और ग्राम समुदायों के विकास एवं सशक्तीकरण में नेता के रूप में अपनी भूमिकाओं के साथ जोड़ सकते हैं।

- प्रतिभागियों को प्रमाण–पत्र वितरण के अलावा कुछ पुरस्कार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भी रखे जाने चाहिए।

क्रियाविधि

युवा नेतृत्व और समुदाय विकास पर प्रशिक्षण की प्रवृत्ति सहभागितापूर्ण होनी चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में निम्नलिखित क्रियाविधियां अपनाने का सुझाव दिया जाता है :

- गतिरोध दूर करने का अभ्यास
- विशेषज्ञों द्वारा विषयों पर व्याख्यान
- समूह चर्चा
- सामूहिक रिपोर्ट लेखन एवं प्रस्तुतीकरण
- भूमिका निर्वाह
- खुला सदन चर्चा
- प्रश्न उत्तर सत्र
- सर्वश्रेष्ठ पद्धतियां : कहानियां सुनाना
- गृह कार्य
- टीम के खेल और सामूहिक गतिविधियां भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का अभिन्न अंग होनी चाहिए। इसमें कबड्डी, खो–खो, वॉलीबॉल और फुटबाल शामिल किए जा सकते हैं।
- समाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में ज्ञान बढ़ाने के लिए सामाजिक मुद्दों पर एक फिल्म जो युवा नेतृत्व गुणों को बढ़ाने और सशक्त बनाने के लिए कार्यक्रम में शामिल की जानी चाहिए।
- कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक विविधता वनस्पतियों और जीवों आदि पर कुछ पॉवर पाईंट प्रस्तुतियों को भी शामिल किया जा सकता है।
- यह भी सुझाव दिया जाता है कि समूह को सामाजिक देशभक्ति संदेश वाले विभिन्न भारतीय भाषाओं में भी गाने सीखने चाहिए। यह राष्ट्रीय एकीकरण की ओर भी एक कदम है।
- सामाजिक विषय पर स्ट्रीट प्ले (नुक्कड नाटक) प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक हिस्सा हो। इसके लिए स्क्रिप्ट प्रतिभागियों द्वारा तैयार की जाएगी। कुल समय अवधि 30 मिनट होगी।

परियोजना कार्य – प्रतिभागियों को समाज एवं युवाओं के सामने आने वाले सामाजिक एवं विकासात्मक विषय को भी संबोधित करते हुए परियोजना कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। युवा स्वरोजगार, शिक्षा और कौशल, विद्युत, स्कूल शिक्षा, स्वच्छता, मनोरंजन, स्वास्थ्य एवं शारीरिक स्वास्थ्य फिटनेस पर विषय हो सकते हैं।

प्रेस कवरेज : जिला युवा समन्वयकों को प्रेस तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करना होगा।

विवरण	**राशि (रू. में)**
रहने एवं खाने का खर्च रू. 300/- प्रति व्यक्ति प्रति दिन (300x40x3)	36,000
वास्तविक यात्रा व्यय रु. 150/- की अधिकतम सीमा के साथ प्रति व्यक्ति (150x40)	6000
संदर्भ सामग्री (200x40)	8,000
आयोजन	5,000

संदर्भ व्यक्तियों को मानदेय (रू. 1000 प्रति व्यक्ति 9 सत्रों के लिए - 3 प्रति दिन अथवा आवश्यकतानुसार)	9,000
योग	**64,000**

प्रशिक्षित युवा नेताओं से अपेक्षित प्रमुख कार्य

- युवा मंडलों के प्रशिक्षित नेता अन्य सदस्यों को एकजुट करेंगे ताकि उनका युवा मंडल वार्षिक कार्य योजना 2019-20 में चिन्हित फोकस क्षेत्रों में रोजगारपरक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा समुदाय कल्याण एवं विकास गतिविधियों पर फोकस के साथ युवा विकास कार्यक्रमों की योजना तथा कार्यान्वयन के फोकल प्वाइंट के रूप में काम कर सके।

- प्रशिक्षित युवा नेताओं को स्थानीय संसाधन जुटाकर समंवित गतिविधियां शुरू करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

---

2 खेलों को प्रोत्साहन

इसके निम्नलिखित तीन घटक हैं -

ए. युवा मंडलों को खेल सामग्री

उद्देश्य

- ग्रामीण युवाओं में खेल संस्कृति तथा खेल भावना को जीवन शैली के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहन देना।
- फुटबाल को लोकप्रिय एवं प्रोत्साहित बनाना।

कार्यान्वयन रणनीति

जिला युवा समन्वयक इस गतिविधि के लिए केवल उन्हीं युवा मंडलों पर विचार करें, जो निम्न मानदंड पूरे करते हैं:

- युवा मंडल जिनके पास न्यूनतम बुनियादी खेल अवसंरचना मौजूद है अथवा स्कूल या अन्य संगठन के साथ मिलकर उसका प्रबंध कर सकते हैं।
- युवा मंडल जहां नियमित रूप से खेल गतिविधियां संचालित की जाती हैं तथा अपने स्वयं के बल पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।
- युवा मंडल हाल में कम से कम एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन/प्रतिभागिता कर चुका हो अथवा ने.यु.के. के खेल आयोजन में भाग ले चुका हो।
- युवा मंडल खेल गतिविधियां तथा अन्य गतिविधियों की रिपोर्ट ने.यु.के. को प्रस्तुत कर रहा है।
- खेल सामग्री को इस तरह से वितरित किया जाना चाहिए कि सभी युवा मंडलों को 4-5 साल के अंतराल के बाद खेल सामग्री मिल सके।

इच्छुक युवा मंडलों से **अनुलग्नक-10** में दिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित कर **अनुलग्नक-11** में दिए प्रारूप में संकलित करें तथा खेल सामग्री के लिए चयनित युवा मंडलों की सूची **अनुलग्नक-12** में दिए प्रारूप में तैयार करें।

खेल सामग्री के लिए चयनित युवा मंडलों की संख्या : जिले में ब्लॉकों की संख्या के आधार पर नीचे दी गई

तालिका के मानदंड़ों के आधार पर

श्रेणी	युवा मंडलों की संख्या जिन्हें खेल सामग्री सहयोग प्रदान किया जाना है।	राशि (रू. में) रू. चार हजार प्रति युवा मंडल
जिला जिसमें 1-3 ब्लॉक हैं।	20	80,000
जिला जिसमें 4-5 ब्लॉक हैं।	20	80,000
जिला जिसमें 6-10 ब्लॉक हैं।	25	1,00,000
जिला जिसमें 11-15 ब्लॉक हैं।	30	1,20,000
जिला जिसमें 16 से अधिक ब्लॉक हैं।	35	1,40,000

नोट :

- खेल किट में फुटबाल भी दी जाये।
- खेल सामग्री प्रति युवा मंडल – रुपये 4,000/- प्रति युवा मंडल

समय सीमा

खेल सामग्री की खरीद के लिए जीएफआर एवं अन्य औपचारिकताओं को पूरा कर की जानी चाहिए और इसका आवंटन चयनित युवा मंडलों को (ऊपर दर्शाये गये आवंटन के अनुसार) किसी महत्वपूर्ण दिवस के आयोजन पर, जिला युवा सम्मेलन अथवा महत्वपूर्ण लोक उत्सव के अवसर पर अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की उपस्थिती, **लोक प्रतिनिधियों सहित** (माननीय मंत्रीगण/सांसद/विधायक) सहित **अति विशिष्ट व्यक्तियों** की मौजूदगी में वितरित कर दी जानी चाहिए। खेल सामग्री का आवंटन चयनित युवा मंडलों के बीच खेल टूर्नामेंट के आयोजन से पहले कर दिया जाये।

क्रय समिति

- जिले में केवल एक क्रय समिति होगी जिसका अध्यक्ष जिला युवा समन्वयक होगा। जिले का एक खिलाड़ी तथा चार एनवाई स्वयंसेवक (जिला युवा समन्वयक द्वारा निर्णीत) जिले के सभी ब्लॉकों के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में होंगे तथा ने.यु.के. का लेखालिपिक-सह-टंकक सदस्य सचिव होगा।

- क्रय समिति सभी सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) का पालन और समस्त आचार औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरों पर कोटेशन आमंत्रित करेगी, जिला कार्यालय में खेल सामग्री की प्रदायगी कर सकने वाली फर्मों की लघुसूची तैयार करेगी तथा खेल सामग्री के विनिर्देशों के साथ दरों का मोल-भाव करेगी।

- चुनी गई खेल सामग्री और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, खेल सामग्री का एक नमूना सेट, जिसको फर्म द्वारा अंतिम रूप दिया गया है, जिला ने.यु.के. में रखा जाएगा।

- लघुसूचीकृत खेल सामग्री फर्मों के आधार पर जिला युवा समन्वयक बजट आबंटन तथा आवश्यकता के अनुसार क्रय आदेश भेजेगा।

बी एवं सी ब्लॉक एवं जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता

खेल प्रोत्साहन के अंतर्गत जिला एवं युवा मंडलों (ब्लॉक) के समूह स्तर पर खेल प्रतियोगिता के आयोजन का प्रावधान किया गया है। खेल सामग्री की खरीद के प्रावधान के बारे में अलग से ऊपर बताया गया है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में खेल भावनाओं को दर्शाता है। इस संबंध में मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और उत्कृष्ट खेल व्यक्तित्वों को सामने लाना और ग्रामीण खेलों के क्षेत्रों में ग्रामीण प्रतिभाओं की पहचान करना जिन्हें अन्य प्रतिष्ठित विभागों द्वारा और आगे विकसित किया जा सके।

उद्देश्य

- ग्रामीण युवाओं को खेलों में भाग लेने के सुअवसर दिलाना और उनकी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करना।
- ग्रामीण युवाओं के बीच खेल संस्कृति और खेल भावना को प्रोत्साहित करना।
- ऐसे ग्रामीण खेलों को प्रोत्साहित करना जिनके लिए न्यूनतम वित्त, ढांचा तथा उपकरणों की आवश्यकता हो।
- युवाओं के बीच स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ दिमाग के संदेश को प्रचारित करना।
- युवाओं को ऐसा मंच प्रदान करना जिसे अन्य विभाग प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे विकसित करने के लिए चयनित कर सके।

टुर्नामेंट का स्तर

- ब्लॉक स्तर पर खेल प्रतियोगिता
- जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिता

कार्यक्रमों की संख्या

जिला युवा समन्वयक जिले में संख्या के आधार पर वरीयता निम्नानुसार है :-

श्रेणी	ब्लॉक स्तरीय		जिला स्तर	
	खेल प्रतियोगिताओं की संख्या	राशि (रू. में) @ रू. 18000 प्रति ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता	खेल प्रतियोगिताओं की संख्या	राशि (रू. में) @ रू. 30000 प्रति जिला स्तरीय प्रतियोगिता
जिला जिसमें 1-3 ब्लॉक हैं।	1	18,000	1	30,000
जिला जिसमें 4-5 ब्लॉक हैं।	3	72,000	1	30,000
जिला जिसमें 6-10 ब्लॉक हैं।	5	90,000	1	30,000
जिला जिसमें 11-15 ब्लॉक हैं।	8	1,44,000	1	30,000
जिला जिसमें 16 एवं अधिक ब्लॉक हैं।	9	1,62,000	1	30,000

समय अवधि : (इसे पर्यावर्णीय स्थितियों एवं कठिन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसे संशोधित किया जा सकता है)।

जुलाई से सितम्बर (ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता)
नवम्बर से दिसम्बर, फरवरी (जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता)

विभिन्न स्तरों पर खेलों की पहचानः

सामूहिक प्रतियोगिताओं के अतिरिक्त व्यक्तिगत खेल भी ब्लॉक एवं जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में शामिल किये जायेंगे। निम्नलिखित में से खेलों का चयन या अन्य स्थानीय लोकप्रिय खेलों का चयन किया जायेगा।

प्रतियोगिता समूह			
फुटबाल	कबड्डी	टग ऑफ वार	हॉकी
हैंड बॉल	बास्केट बॉल	बॉलीवॉल	खो-खो
व्यक्तिगत खेल प्रतियोगितायें			
एथलैटिक	कुश्ती(भारतीय तरीके से)	तीरांदाजी(भारतीय तरीके से)	तैराकी
जिमनास्टिक	बैडमिंटन	टेबल टेनिस	साईकिलिंग
भारोत्तोलन	वुशु	ताईकवांडो	मुक्के बाजी
जुडो			
स्थानीय परम्परागत खेल			
ऊँट दौड	भैंसा गाडी दौड	मार्शल आर्ट जैसे गट्टका, मलखम, अत्या-पत्या, कलराईपट्टू, सीलामबम, थंग टा आदि	

- जिला नेहरू युवा केन्द्र द्वारा ब्लॉक विशेष में आयोजित की जाने वाली खेल गतिविधियों का निर्णय युवा मंडल द्वारा नियमित रूप से खेले जाने वाले खेलों की लोकप्रियता के आधार पर किया जाये।

- ब्लॉक एवं जिला स्तर पर न्यूनतम 5-6 खेलों के चयन में व्यक्तिगत एवं टीम के साथ खेलों की वरीयता के आधार पर किया जाये और इसमें क्रमशः 60ः40 का अनुपात रखा जाये।

- ब्लॉक एवं जिला स्तर पर एक ही प्रकार के खेलों का चयन किया जाये।

नोटः

- क्षेत्र में लोक प्रिय अन्य खेलों के साथ-साथ फुटबाल टूर्नामेंट को आयोजित करने के लिए प्रयास किए जायें।

- प्रत्येक ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता के अंतर्गत फुटबॉल, बॉलीबॉल, बास्केट बॉल, हैंड बॉल, हॉकी, कबड्डी और खो-खो में से 03 से अधिक खेल न रखे जायें।

- व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत एथलेटिक, कुश्ती, तीरांदाजी आदि में से 02 से अधिक खेलों का चयन न किया जाये और यह चयन स्थानीय परिस्थितियों और उपलब्ध ढांचागत सुविधाओं पर निर्भर होगा।

- इसके अतिरिक्त स्थानीय रूचि को बढ़ाने के लिए एक या दो प्रतियोगितायें जैसे कुश्ती, टग ऑफ वार, मार्शल आर्ट, मलखम, अत्या-पत्या, ऊँट दौड और भैंसा गाडी दौड स्थानीय परंपराओं के अनुसार आयोजित किये जा सकते हैं।

अवधिः

- टुर्नामेंट 02 दिन का होगा
- बजट समान रहेगा चाहे दिवसों की संख्या तीन दिन से अधिक ही क्यों न हो

युवा मंडलों एवं प्रतिभागियों की संख्या

- ✓ प्रत्येक स्तर पर न्यूनतम 150 खिलाड़ी होंगे।
- ✓ दोनों प्रकार के प्रतियोगिताओं में महिलाओं की प्रतिभागिता को प्रोत्साहित किया जायेगा।

कार्यान्वयन रणनीतिः

ब्लॉक स्तर का विजेता उसी खेल में जिला स्तरीय टूर्नामेंट में भाग लेगा।

- अपेक्षित सुविधायें, खेल उपकरण, खेल सामग्री प्रतिभागी दलों के बीच आवंटित की जायेगी।

- पुरस्कार में केवल स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र के साथ दिये जायेंगे।
- परस्पर युवा मंडल खेल प्रतियोगिता नॉक ऑउट के आधार पर युवा मंडल के समूह स्तर (ब्लॉक) और जिला स्तर पर आयोजित किये जायेगें।

- प्रतिभागी अपने आने जाने का किराया स्वयं वहन करेंगे।

- विभिन्न खेल जो ब्लॉक विशेष में आयोजित किये जाने हैं के लिए रैफरी, कोच, जज आदि को पहले ही चिन्हित किया जाये।

- उपयुक्त प्राथमिक चिकित्सा और अपेक्षित सुरक्षा इंतजाम स्थानीय पुलिस एवं युवा मंडल स्वयंसेवकों की सहायता से सुनिश्चित करें।

- संबंधित एनवाईवी स्वयंसेवक अपने क्षेत्र में समस्त युवा मंडलों के बीच प्रस्तावित युवा मंडल (ब्लॉक) और जिला स्तरीय परस्पर युवा मंडल खेल प्रतियोगिता में भाग लेने की सूचना का प्रचार-प्रसार पहले से ही करेंगे और वे कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से जुड़े रहेंगें।

बजटः उपयोगिता नमूना

शीर्ष	**ब्लॉक स्तरीय**	**जिला स्तरीय**
	राशि (रू में)	**राशि (रू में)**
खेल उपकरण, ट्रेक एवं फील्ड प्रबंधन और विजेताओं के लिए पुरस्कार (वास्तविक आवश्यकता के अनुसार)	10,000.00	15,000.00
आयोजन और आकस्मिक व्यय जिसमें चाय, नाश्ता, प्रतिभागियो, प्रतियोगिता के अधिकारियों के लिए अल्पाहार फोटाग्राफी, पी ए सिस्टम, प्रमाण पत्र आदि के लिए	8,000.00	15,000.00
कुल	**18,000.00**	**30,000.00**

---

4. बेसिक वोकेशंस में शिक्षा

पृष्ठभूमि

बेसिक वोकेशंस में शिक्षा का लक्ष्य ग्रामीण युवा महिलाओं और पुरुषों में बेसिक वोकेशंस विकसित करने की शिक्षा देना है और समाज में अपने आत्म सम्मान को बढ़ाने के साथ-साथ अन्य एजेंसियों से कौशल विकास प्रशिक्षण लेने के लिए मार्गदर्शन करना।

कार्यक्रम के तहत विचार की गई गतिविधियों का अनुक्रम युवाओं को समूहों में संगठित करना, उनके कौशल में सुधार करना, समर्थन सेवाओं की व्यवस्था करना, नेयुकेसं की वार्षिक कार्य योजना के दिशानिर्देशों में पहले उल्लेख किए गए प्रमुख केन्द्र बिन्दू क्षेत्रों पर जागरूकता और शिक्षा प्रदान करना है।

इसमें युवा महिलाओं एवं पुरूषो को अन्य एजेंसियों से कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए जागरूक करने पर अत्यधिक जोर दिया जाना चाहिए। ताकि वे धीरे-धीरे अपनी आजीविका के लिए आय उत्पन्न करने वाली इकाइयों को स्थापित करके अर्थपूर्ण रूप से व्यवसायी या स्वंव्यवसायी हो जाएं।

लक्ष्य

- ग्रामीण युवाओं के व्यावसायिक कौशलों का उन्नयन तथा समाज में उनके आत्म सम्मान को बढ़ाना।
- युवाओं को उनके दैनिक जीवन के मुद्दों तथा समस्याओं का सामना करने हेतु सशक्त बनाना।
- युवाओं को अपने स्वयं के रोजगार या आय उत्पादन कार्यक्रमों को लेने के लिए प्रेरित करें।
- उन्हें नए कौशल के बारे में जागरूक करना जिसके लिए बाजार में बढ़ती मांग है?
- मौजूदा योजनाओं के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण और क्रेडिट सुविधाओं तक पहुंच के लिए जागरूकता लाना।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या : जिले में ब्लाकों की उपलब्धता के आधार पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार।

श्रेणी	**रू. 21,000/- प्रति सेन्टर की दर से प्रति जिला कार्यक्रमों की संख्या**	**राशि (रू. में)**	**शामिल किए जाने वाले प्रतिभागियों की संख्या न्यूनतम @25 प्रति कार्यक्रम**
जिला जिसमें 1-3 ब्लॉक हैं।	6	1,26,000/-	150
जिला जिसमें 4-5 ब्लॉक हैं।	6	1,26,000/-	150
जिला जिसमें 6-10 ब्लॉक हैं।	6	1,26,000/-	150
जिला जिसमें 11-15 ब्लॉक हैं।	8	1,68,000/-	200
जिला जिसमें 16 एवं अधिक ब्लॉक हैं।	9	1,89,000/-	225

प्रति कार्यक्रम प्रतिभागियों की संख्या

- एक प्रशिक्षण समूह में प्रतिभागियों की संख्या कम से कम 25 होनी चाहिए। (80प्रतिशतमहिलाएं और 20प्रतिशत पुरूष)।

- जिले की प्रेरित, जरूरतमंद, बेरोजगार ग्रामीण/अर्द्ध-शहरी युवाओं का चयन किया जाना चाहिए।

- युवा मंडल सदस्य, पूर्व-एनएसवी/एनवाईवी तथा ने.यु.के. कार्यक्रमों और गतिविधियों में भाग लेने वालों को वरीयता दी जानी चाहिए।

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, विधवा, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी तथा निर्धन/बेघर वर्ग की महिलाओं का चयन के समय ध्यान रखा जाना चाहिए।

- चुने गए प्रतिभागी कम से कम समझने, पढ़ने तथा लिखने की स्थिति में होने चाहिए।

अवधि :

- व्यवसाय की अवधि तकनीकी विशेषज्ञ, संस्था या अनुदेशक की सलाह से निर्धारित की जायेगी तथापि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अधिकतम अवधि 03 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि चुने गए ट्रेड और व्यवसाय पर निर्भर होगी।

- इसलिए युवा समन्वयक को चुने गए ट्रेड और व्यवसाय हेतु अवधियां संबंधित तकनीकी विशेषज्ञों अथवा संस्थाओं के साथ परामर्श से तय करनी चाहिए।

- व्यवसाय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम इस प्रकार चलाया जाये कि यह इबीवी बजट सीमा के अंदर ही रहे लेकिन यह भी सुनिश्चित करें कि आवंटित प्रतिभागी उतने ही रहें।

क्र.सं.	**सेक्टर**	**प्रस्तावित व्यवसाय**
1	कृषि	मशरूम खेती, मधुमक्खी पालन, औषधीय पौधों की खेती, बागबानी, पुष्पकृषि, वर्मीकल्चर, बैकयार्ड सब्जी कृषि, ट्रैक्टर मरम्मत।
2	डेरी कार्य	छोटे दुधारू/डेरी पशु (भैंस, गाय) प्रजनन इकाइयां, दुग्ध एकत्रीकरण एवं विक्रय, दुग्ध प्रसंस्करण (घी, पनीर, खोया)
3	पशुपालन	ऊन/मीट के लिए बकरी/भेड़ प्रजनन, बैकयार्ड पोल्ट्री एवं देसी पक्षी (बत्तख, कोयल), सूअर पालन, खरगोश प्रजनन इत्यादि।
4	मत्स्य पालन	मत्स्य प्रजनन/छोटे तालाबों में बीज उत्पादन, मत्स्य प्रसंस्करण (शुष्कन, मत्स्य अचार), मछली पकड़ने के जाल बनाना तथा मरम्मत, मत्स्य चारा उत्पादन, छोटी उत्पत्तिशालाएं।
5	हथकरघा	बुनाई, प्रसंस्करण (रंगाई, ब्लीचिंग, मर्सराइजिंग), पैकेजिंग।
6	हस्तशिल्प	हस्तशिल्प की वस्तुएं बनाना, प्रसंस्करण गतिविधियां (पालिश करना, रंग करना)
7	रेशम उत्पादन	शहतूत की खेती, कोकून प्रजनन।
8	सामाजिक वानिकी तथा वन आधारित गतिविधियां	पौधशालाएं तैयार करना, वन भूमि/परती भूमि पर वन प्रजातियों की खेती, गौण वनोपज एकत्र करना (गोंद, बेरी, औषधीय/हर्बल उत्पाद, मधु)
9	खाद्य प्रसंस्करण	जैम, जेली, मुरब्बा, पेठा, चिप्स/वेफर्स, नूडल्स, पापड़, अचार, बेकरी उत्पाद बनाने के लिए फल और सब्जी प्रसंस्करण
10	स्थानीय रूप से उपयुक्त अन्य कोई व्यवसाय	बुनाई, कशीदाकारी, जरदोजी कार्य, फिनिशिंग, कटिंग और टेलरिंग, सॉफ्ट टॉयज, बांस/जूट कार्य : हैंड बैग, टोकरी, सजावटी पीस, फाइल कवर, ब्यूटी कल्चर, मोमबत्ती निर्माण, गृहोपयोगी वस्तुओं की पैकेजिंग तथा पेंटिंग, कम्प्यूटर और मोबाइल मरम्मत इत्यादि।

इबीवी के संचालन हेतु रणनीति

- युवा समन्वयक ट्रेड्स तथा व्यवसायों की पहचान एक ओर ग्रामीण महिलाओं की स्थानीय आवश्यकाताओं के आधार पर और दूसरी तरफ बजार में कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर करेगा।

- ने.यु.के. जिले के भीतर बेसिक वोकेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम केवीके ', कृषि विश्वविद्यालयों, विकास अभिकरणों, एनजीओ तथा संस्थानों के प्रशिक्षकों की सहायता से कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। प्रशिक्षकों को भी नेहरू युवा. केन्द्रों में मानक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बुलाया जा सकता है।

- यदि अपेक्षित है, युवा समन्वयक को युवाओं को जिले से बाहर स्थित प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों में भेजने की आजादी होगी, यदि किसी विशेष ट्रेड या व्यवसाय में जिले में सुविधा उपलब्ध नहीं है। तथापि, ने.यु.के. द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा तथा यह निर्धारित बजट के भीतर तथा कार्यक्रम हेतु दिशानिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए। इस हेतु आवश्यकतानुसार स्थानीय संसाधन जुटाए जा सकते हैं। बहरसूरत ऐसे व्यवस्थित कार्यक्रम के दौरान युवाओं को ने.यु.के.सं द्वारा चिन्हित मुद्दों एवं मुख्य फोकस क्षेत्रों की तथा पिछले पृष्ठों पर दिए दिशानिर्देशों की जानकारी दी जानी चाहिए।

- प्रशिक्षक अधिमानतः कौशल प्रशिक्षण प्रदाता अभिकरणों, विभागों तथा एनजीओ से लिए जाने चाहिए। तदापि प्रशिक्षक युवा मंडलों से भी लिए जा सकते है।

- बेसिक वोकेशन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पाठ्यचर्या कौशल प्रशिक्षण प्रदाता अभिकरणों तथा मास्टर प्रशिक्षकों के साथ परामर्श से कार्यक्रम प्रारंभ होने से पर्याप्त पूर्व तैयार किया जाना चाहिए।

बेसिक वोकेशन एवं साफ्ट स्किल में शिक्षा हेतु सेक्टर, ट्रेड तथा व्यवसाय

निम्नलिखित सेक्टर, ट्रेड तथा व्यवसायों (सूची केवल संकेतात्मक है) पर बल दिया जा सकता है।

सहयोगी अभिकरण

- संस्थान जैसेकि लघु उद्योग, एनसीवीटी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन प्रशिक्षण प्रदाता, टेलरिंग संस्थान, केवीके, केवीआईसी, डीआईसी, समुदाय पोलिटेक्नीक, जेएसएस, आईटीआई, डब्ल्यूसीडी तथा कृषि विश्वविद्यालय विस्तार सेवाएं और जिला स्तर पर अन्य अनेक को संबद्ध कर प्रशिक्षण को कारगर तथा लाभप्रद बनाया जा सकता है।

- युवा समन्वयक को प्रशिक्षुओं के स्वरोजगार के लिए जिला प्रशासन, बैंकों, उद्योगों, नाबार्ड, औद्योगिक और वित्तीय संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए।

बजट प्रति कार्यक्रम
तीन माह की अवधि के पाठ्यक्रमों हेतु बजट :

विवरण	ब्यौरा	राशि (रू. में)
प्रशिक्षकों को मानदेय	रू. 5000 प्रति माह के लिए	15,000
कच्चा माल तथा अनुरक्षण	रू. 1500 प्रति माह के लिए	4500
संगठनात्मक खर्चे		1,500

	योग	**21,000**

इबीवी केन्द्रों का निरीक्षण

राज्य निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा इन केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया जाना चाहिए। जिला युवा समन्वयक को कार्यक्रम के दौरान कम से कम एक या दो बार दौरा करना चाहिए।

परिमाण योग्य गतिविधियों पर कार्यक्रम का प्रभाव

- ग्रामीण महिलाओं एवं पुरुषों में आत्म विश्वास एवं सम्मान में वृद्धि।
- सामाजिक व्यवहारों की पारंपरिक प्रणाली में धीरे धीरे तथा आमूल-चूल परिवर्तन (पारिवारिक प्रतिबंध घर के अंदर रहें)।
- राष्ट्र निर्माण में प्रतिभागिता और आय सृजन हेतु जिम्मेदारी की भावना।
- जागरुकता, शिक्षा और केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों सुविधा और सरकार, गैर-सरकारी संस्थाओं और अन्य विभागीय संस्थाओं के कार्यक्रमों तक पहुंच को बढ़ाना।
- गांव, जिला, कमिश्नरी, राज्य तथा देश के किसी अन्य भाग में भिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु आत्म प्रेरण तथा सक्रियता।

---

5. कला और संस्कृति को प्रोत्साहन

युवाओं को अपनी कला और सांस्कृतिक पहलुओं को समझने और सराहना करने तथा एक दूसरे के साथ भातृत्व जुड़ाव को समझने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रावधान किया गया है।

उद्देश्य

- ग्रामीण युवाओं को अपनी कला सांस्कृतिक प्रतिभा दर्शाने तथा उसका संरक्षण तथा प्रोत्साहन सुकर बनाने का अवसर प्रदान करना।
- ग्रामीण कलाकारों को अपने उत्पादकों का प्रदर्शित करने के लिए मंच उपलब्ध कराना और कौशल उन्नयन के लिए प्रोत्साहित करना।

रणनीतियां तथा गतिविधियां

- युवाओं की आंतरिक प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना तथा पारम्परिक और ग्रामीण हस्त शिल्पों को लोकप्रिय बनाना।
- कला और सांस्कृतिक का भाग बनने के लिए युवा शिल्पियों को प्रोत्साहित करना।
- जिला स्तरीय कला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए जिला युवा समन्वयक द्वारा एक समिति गठित की जाएगी, जिसका गठन निम्नानुसार होगा :

पदनाम	स्थिति
जिला युवा समन्वयक	अध्यक्ष
02 एनवाईवी स्वयंसेवक	सदस्य
लेखा लिपिक सह टंकक	सदस्य सचिव

- समिति आवश्यकता के अनुसार एक बजट तैयार करेगी। बजट तैयार करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि राशि का उपयोग भोजन-आवास, टीए/डीए, हॉल किराया, स्टाल संस्थापन, आयोजन संबंधी खर्चों इत्यादि के लिए किया जाएगा।

कार्यक्रम की संख्या : 01
कार्यक्रम की अवधि एवं स्तर : 01 दिन तथा जिला स्तर

क्र.सं.	राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के दिवसों का आयोजन
1	विश्व स्वास्थ्य दिवस (7 अप्रैल)
2	डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती (14 अप्रैल)
3	पंचायती राज दिवस (24 अप्रैल)
4	विनायक दमोदर सावरकर जन्म दिवस (28 मई)
5	विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून)
6	अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (21 जून)
7	श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन्म दिवस (6 जुलाई)
8	विश्व युवा कौशल दिवस (15 जुलाई)
9	स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त)
10	सद्भावना दिवस (20 अगस्त)
11	राष्ट्रीय क्रीडा दिवस (29 अगस्त)
12	हिन्दी दिवस (14 सितम्बर)
13	विकास दिवस (17 सितम्बर)
14	पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म दिवस (25 सितम्बर)
15	वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस (1 अक्टूबर)
16	गांधी जयंती (विश्व अहिंसा एवं स्वच्छता दिवस) (2 अक्टूबर)
17	सतर्कता दिवस (26 अक्टूबर)
18	राष्ट्रीय एकता दिवस के रुप में सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्म दिवस (31 अक्टूबर)
19	नेहरु युवा केन्द्र संगठन स्थापना दिवस (14 नवम्बर)
20	कौमी एकता दिवस (19 नवम्बर)
21	राष्ट्रीय युवा दिवस (12 जनवरी) एवं सप्ताह (13 से 19 जनवरी)
22	नेताजी का जन्म दिवस (23 जनवरी)
23	संविधान दिवस - 26 जनवरी
24	महात्मा गांधी बलिदान दिवस (30 जनवरी)
25	शहीदी दिवस (23 मार्च)

प्रतिभागियों की संख्या : न्यूनतम 120 प्रतिभागी

- ✓ जिला स्तरीय कार्यक्रम में न्यूनतम 15 टीम प्रतिभागिता करेंगी
- ✓ युवा अतिथि कलाकारों द्वारा विशेष कला प्रदर्शनों की भी व्यवस्था की जा सकती है।

समय सीमा : दिसम्बर एवं जनवरी

बजट : 20,000/-

सहयोगी अभिकरण

- जिला प्रशासन, सांस्कृतिक केन्द्र, जिला भाषा एवं संस्कृति विभाग, जिला जनसंपर्क कार्यालय, क्षेत्र प्रचार कार्यालय, एनजीओ तथा अन्य

---

6. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के दिवसों का आयोजन

उद्देश्य

- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के दिवस विशेष के उद्देश्य, विषय तथा महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना।

अवधि : एक दिन प्रत्येक

प्रतिभागी प्रति कार्यक्रम : न्यूनतम 100 (प्रत्येक गतिविधि में युवा, भिन्न स्तरों पर राजनीतिक नेताओं, विकास विभागों के प्रमुखों तथा समाज के गणमान्य नागरिकों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए)।

बजट

कार्यक्रम का नाम	**स्तर**	**बजट (रू. में)**
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के दिवसों का आयोजन। इसमें राष्ट्रीय युवा दिवस एवं सप्ताह का आयोजन भी शामिल है।	ब्लॉक, जिला	55,000
राष्ट्रीय युवा दिवस एवं सप्ताह		25,000
कुल		**80,000**

कार्यक्रम एवं गतिविधियॉ

राष्ट्रीय युवा दिवस के संबंध में दिनांक 18.04.2016 को प्रधानमंत्री कार्यालय में आयोजित भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए कि समस्त युवाओं को युवा के महत्व को उजागर करने की गतिविधियों से संबंधित राष्ट्रीय कारणों और इसके साथ-साथ आत्म सम्मान की भावना को एकत्रित किया जाये और विशाल राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में शामिल किया जाये जिससे कि वे इस यादगार समय का अभिन्न हिस्सा बन सके इस उद्देश्य के लिए एक छोटी सी टीम का गठन किया गया है।

इसलिए, केन्द्रित गतिविधि का समाज के सभी वर्गों के युवाओं की सहभागिता का आयोजन किया जाये और जोकि इसमें भविष्य में प्रत्येक स्तर पर होने वाली गतिविधि में भाग ले सकें और अपना योगदान दे सकें और इस संदेश का प्रचार-प्रसार कर सकें। इस दिन पर आयोजित कार्यक्रमों को समस्त मीडिया और प्रेस के माध्यम से दिखाया जाना चाहिए।

12 जनवरी (राष्ट्रीय युवा दिवस)

- रक्तदान शिविर के आयोजन की सुविधा एवं सहभागिता

- स्वामी विवेकानन्द जी की शिक्षाओं और दर्शन पर चर्चा/सम्भाषण
- राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन, एकता, समग्र विकास और व्यक्तित्व निर्माण के संदर्भ में युवाओं की भूमिका पर वाद विवाद
- स्वामी विवेकानन्द जी की शिक्षाओं और दर्शन पर युवाओं के बीच भाषण प्रतियोगिता
- युवा समाज के लिए क्या कर सकते हैं और समाज से उनकी क्या अपेक्षा है विषय पर बैठक/सम्मेलन (भूमिका एवं उत्तरदायित्व)
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका

13 जनवरी (सांस्कृतिक दिवस)

- राष्ट्रीय और समाज से संबंधित विषय पर युवाओं पर समूह गान
- हमारे स्वतंत्रता सैनानियों द्वारा किये गए बलिदान विषय पर युवाओं की सहभागिता से स्थानीय लोकगीत, कटपुतली शो, नुक्कड़ नाटक, ड्रामा आदि का आयोजन।
- गाँव की विभिन्न कलाओं और हस्तकला आदि पर कार्यक्रम

14 जनवरी (प्रतिभागिता दिवस)

- युवाओं के बीच "युवाऔरपंचायतीराज""स्वतंत्रतासंग्राममेंयुवाओंकीभूमिका""राष्ट्रविकासमेंयुवाओंकीभूमिका""आपदाप्रबंधन, सुखा और बाढ़ में युवाओं की भूमिका""भविष्यकेउत्तराधिकारीकेरूपमेंयुवा""सामाजिकबुराईयों, दहेज, बाल मजदूरी, महिलाओं पर अत्याचार, नशे के दुष्परिणाम, एड़स जुआ और छूआछूत को दूर करने, में युवाओं की भूमिका""राष्ट्रीयएकताकेलिएयुवा"साम्प्रदायिकएकताकेलिएयुवाजैसेविषयोंपरनिबंध, वाद विवाद,चित्रकला प्रतियोगिता।

- महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानन्द, पं. दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पण्डित जवाहर लाल नेहरू और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के विचारों पर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर युवाओं द्वारा एकांकी नाटक, नुक्कड़ नाटक आदि का आयोजन।

15 जनवरी (सामाजिक सेवा दिवस)

- युवा मण्डल सदस्यों/स्वयंसेवकों की सहभागिता से गांवों से संबंधित विशेष कार्यक्रम जैसे पर्यावरण संरक्षण और सुझाव सम्पूर्ण साक्षरता अभियान को प्रोत्साहन, प्राथमिक शिक्षा को छोड़ने पर जांच, प्राथमिक शिक्षा छोड़कर जाने वालों का नामांकन, बाल मजदूरी पर चेक महिलाओं पर अत्याचार, बालिका शिशु की देखभाल आदि पर जांच।

- सफाई अभियान जैसे गांवों के साझा क्षेत्र की सफाई : "गांवोंमेंसफाईरखनेकेलिएअभियान"

- गांवों में जंगली घास उन्मूलन पर कार्य शिविर जैसे (गाजर घास, लान्टाना, जल कुम्भी) आदि

- युवाओं द्वारा रक्तदान शिविर

- सड़कों की मरम्मत, गड्ढों का भराव, तलाबों से गाद निकालना आदि कार्य परियोजना में युवाओं की सहभागिता

16 जनवरी (शारीरिक फिटनेस दिवस)

- खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन
- साहसिक प्रोत्साहन से संबधित कार्यक्रम
- परम्परागत और ग्रामीण खेलों को प्रोत्साहन

17 जनवरी (शान्ति दिवस के लिए युवा)

- सद्भावना यात्रा और रैली
- देश में शान्ति को बढ़ावा देने के लिए प्रभात फेरी, वाद-विवाद, भाषण एवं सम्मेलन
- इस दिवस पर नाटक और नुक्कड़ नाटकों का आयोजन
- धर्म निरपेक्षता, शान्ति और राष्ट्रीय एकता के सन्देश का प्रचार करने के लिए युवाओं द्वारा मानव कड़ी का गठन

18 जनवरी (कौशल विकास दिवस)

- व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से युवाओं द्वारा तैयार किये गये सामान की प्रदर्शनी
- प्रदर्शन के प्रावधान के साथ उत्पादों की प्रदर्शनी एवं फोटो प्रदर्शनी
- युवाओं को वेतन एवं स्वरोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु उपलब्ध योजनाओं एवं अवसरों के बारे में जागरूक करना

19 जनवरी (जागरूकता दिवस)

- युवाओं से सम्बन्धित विषयों विशेषकर नशे से बचाव, एच आई वी/एड्स, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक बुराईयों का उन्मूलन और सामाजिक विकास के उद्देश्यों से संबंधित विषयों पर क्षेत्र प्रचार इकाईयों की सलाह से फिल्म शो।
- सरकार द्वारा आधुनिक कृषि अभ्यास, कौशल विकास, आर टी आई, मनरेगा सरकार के अन्य कार्यक्रम आदि पर आयोजित किये जा रहे कार्यक्रम की सूचना का प्रचार करना।
- राज्य/जिले के किसी विशेष व्यक्ति द्वारा युवाओं को सम्बोधन
- युवा दिवस का समापन, एवं पुरस्कार वितरण आदि

---

7. जिला युवा सम्मेलन

इस कार्यक्रम का लक्ष्य सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के उन मुद्दों को सामने लाना तथा जोर शोर से उठाना है जिनको संयुक्त रूप से स्वयंसेवा की भावना के साथ समयबद्ध ढंग से हल किए जाने की जरूरत है। इस प्लेटफार्म का उपयोग ने.यु.के.सं तथा अन्य विभागों की विद्यमान तथा नए प्रारंभ किए गए कार्यक्रमों और स्कीमों के बारे में सूचना प्रसार तथा उन्मुखीकरण और विकास प्रक्रिया में युवाओं की प्रभावोत्पादक भागीदारी के लिए रणनीतियां तैयार करने के लिए भी किया जाएगा।

उद्देश्य

- युवा नेताओं को अपनी बात कहने, अनुभव साझा करने तथा युवा सशक्तीकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ पद्धतियां सुझाने के लिए अवसर और मंच प्रदान करना।

रणनीतियां तथा गतिविधियां

- जहॉ पूर्णकालिक जिला युवा समन्वयक है वहॉ दिनांक 21.06.2017 को 300 युवाओं को शामिल करते हुए मास योगा/प्रदर्शन सामान्य योग प्रोटोकॉल के रुप में 280 जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जायें।
- शेष 343 जिलों में सम्मेलन वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में आयोजित किया जाना चाहिए।
- युवाओं को अभिमुख करें, अनुभव साझा करें और सामाजिक और राष्ट्रीय चिंताओं से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करें।
- सामान्य रुप से लोगों और विशेष रुप से युवाओं के बीच अर्जित ज्ञान का प्रसार करने के लिए युवाओं को तैयार करें।
- 300 युवाओं की एक न्यूनतम की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है।
- **निम्नलिखित क्षेत्रों और विषयों पर** भी जिला युवा सम्मेलन के भाग के रुप में चर्चा की जानी चाहिए और उनके परिणाम को प्रलेखित किया जाना चाहिए।

1. योग - सद्भाव और शांति के लिए योग और शारीरिक और आगे के लिए योग

- ➢ योग न केवल एक व्यक्ति के शरीर विकसित करता है बल्कि दिमाग को भी विकसित करता है और इसके साथ-साथ यह समन्वय के लिए भी महत्वपूर्ण है।
- ➢ योग और इसके महत्व और बीमारियों के इलाज में उपयोगिता पर विशेषज्ञों द्वारा चर्चा।

2. माननीय प्रधानमंत्री की वित्तीय और सामाजिक समावेशन योजनाएं - जन धन योजना, बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अन्य योजनाओं।

3. स्टार्ट अप इंडिया - स्किल इंडिया

4. साफ-सफाई अभियान, प्रतिमा की सफाई, टीकाकरण के लिए इंद्रधनुष, वृक्षारोपण, जल संरक्षण और फुटबॉल प्रोत्साहन।

5. नरेन्द्र मोदी मोबाईल एप्प डाउनलोड एवं अपलोड करना कि जिससे कि विचार, सुझाव और कार्यवाही फोटोग्राफ भेजे जा सकें और इस योजना का अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके।

6. नई सरकार की कौन-सी योजनायें और कार्यक्रम युवाओं तक पहुंच गई क्या वे युवा के लिए उपयोगी और लाभकारी हैं?

7. स्वच्छ भारत अभियान

8. आज की शिक्षा प्रणाली - ऐसे क्षेत्र जहॉ सुधार की जरूरत है - आपके क्या सुझाव हैं?

9. युवाओं के व्यक्तिगत शारीरिक और खेल विकास - कैसे युवा और संघर्ष के प्रबंधन में योग के लाभ के बीच रुचि विकसित करने पर सुझाव।

10. कौशल विकास - युवाओं की राय है कि कौन-सा कौशल महत्वपूर्ण है और किस प्रकार का कौशल प्रशिक्षण वे लेना चाहते हैं।

11. अन्य कोई विषय जिस पर युवा बात करना चाहते हों।

- उपर्युक्त विषयों में से प्रत्येक में, युवाओं के सुझावों के आधार पर इसे स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए कि उपर्युक्त क्षेत्रों में से प्रत्येक में युवा क्या भूमिका निभा सकते हैं?

सम्मेलन की अवधि :01 दिन
प्रतिभागियों की संख्या : जिले के सभी भागों से युवा मंडलों से
न्यूनतम 100 (पुरूष तथा महिला)
कार्यक्रमों की संख्या : एक
समय सीमा : तीसरी तिमाही
बजट : रुपये 30000/-

---

27. महात्मा गांधीजी की 150 वीं जयंती का आयोजन (वर्ष भर)

पृष्ठ भूमि

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 68वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र के अपने पहले संबोधन के दौरान लोगों से अपने आस-पास को साफ और हरा रखने के लिए आग्रह किया था। स्वच्छता एवं सफाई महात्मा गांधी जी के दिल के करीब थी और उनके लिए ईश्वर के बाद दूसरा स्थान स्वच्छता का था। देशभर में स्वयं सेवा एवं स्वैच्छिकता की भावना के साथ देश को गंदगी से मुक्त कराने के लिए युवा नेतृत्व में आन्दोलन करना बापू की 150वीं जयंती पर एक बड़ी श्रद्धांजलि होगी।

प्रधानमंत्री कार्यालय में दिनांक 18.04.2016 में आयोजित बैठक के दौरान भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए थे कि युवाओं को एकत्रित किया जाये और उन्हें स्वच्छता गतिविधियों में शामिल करने के लिए प्रेरित किया जाये जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और सार्वजनिक मूर्तियों की सफाई और गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाना। इसके अलावा, यह भी निर्देश दिया गया है कि युवा को जल संरक्षण (पानी बचाओ) और जल संचयन की गतिविधियों में लगाया जाये।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि युवाओं के बीच गांधीजी की नैतिकता, आदर्श और स्वैच्छिक कार्य की भावना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें वे अपने जीवन में अपना सकें। इसके अलावा, युवा भारत और हिंद स्वराज के लिए गांधी जी द्वारा अपनाये गए सिद्धांतों को युवाओं के बीच प्रचारित किया जा सकता है।

इसी प्रकार, गांधी जी और उनके महत्व से जुड़े स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए और इन स्थानों पर गांधीजी के जीवन में होने वाली घटनाओं को फिर से जीवित किया जा सकता है। राष्ट्रीय एकता शिविर या अन्य बड़े आयोजन के दौरान, गांधी के जीवन और कार्य और गांधीवादी नैतिकता और संदेश, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, आदि पर विषय विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान आयोजित किए जाने चाहिए।

उद्देश्य

मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- युवाओं के बीच महात्मा गांधी जी के जीवन और कार्यों के बारे में जानकारी प्रसारित करना।
- युवाओं को स्वच्छता के बारे में जागरुक करना, मैनुअल स्कवैंजिंग को समाप्त करना और ओडीएफ को प्रचारित करना।
- सर्व धर्म सम्भाव, सामाजिक सदभाव, सामुदायिक सेवा और इसके ऊपर अनेकता में एकता के प्रति अभिमुख करना।
- युवाओं को विघटनकारी ताकतों द्वारा उत्पन्न खतरे के बारे में जागरूक करना और देश की आम विरासत (सांझी विरासत) के लिए तैयार करना।
- समाज में प्रचलित सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए युवाओं को संवेदनशील बनाना।

कार्यक्रम को सार्थक और सफल बनाने के लिए युवा कार्यक्रमों पर जिला सलाहकार समिति (डीएसीवाईपी) की बैठक में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के आयोजन पर चर्चा करने का प्रयास किया जाना चाहिए। स्थानीय प्रशासन और स्थानीय प्रतिनिधियों को कार्यक्रमों और गतिविधियों के उचित कार्यान्वयन के लिए हर संभव तरीके से शामिल किया जाना चाहिए।

गांधी जयंती समारोह विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और गतिविधियाँ जैसे - प्रभात फेरी, सर्व धर्म प्रार्थना और बापू के भजन, परस्पर संवाद , प्रदर्शनी, पदयात्रा और रैलीयां, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड नाटक और गांधी जी पर लघु फिल्म और

व्याख्यान, प्रतियोगितायें - निबंध, चित्रकला, भाषण प्रतियोगिता, स्वच्छता और स्वच्छता अभियान में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान अधिकतम संख्या में युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए।

कार्यक्रम को पुनः तैयार किया गया है और इसमें निम्नलिखित 3 घटक हैंः-

ए) स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान (स्वच्छता कार्य योजना)

लक्ष्य

- स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने और स्वच्छता का माहौल बनाने के लिए।
- लोगों को स्वच्छता और स्वच्छता के बारे में जागरूक करना।
- सेवा भाव, निष्कम सेवा के साथ श्रमदान (स्वैच्छिक श्रम) की भावना पैदा करने के लिए।
- जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, छोटे बांधों (बोरी बांध) का निर्माण, तालाबों, जल जलाशयों, चेक बांधों और जल संचयन गतिविधियों को बनाए रखना।

स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) - 2019-20

युवा : **सेवा भाव और निष्कम सेवा** के साथ स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वयंसेवीवाद और स्वैच्छिक कार्रवाई

क्र.सं.	कार्यक्रम/योजनायें/गतिविधियां
पूरे वर्ष के दौरान युवा मंडलों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए 623 जिला नेहरु युवा केन्द्रों द्वारा स्वच्छता गतिविधियां	
1	स्वच्छता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर जागरूकता और स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों को स्वच्छता का राजदूत बनाना।
2	भारत को स्वच्छ बनाने के लिए लोगों को 100 घंटे का श्रमदान (सप्ताह में 2 घंटे) अपने समय में से योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना।
3	मिशन पर आईईसी सामग्री का वितरण जिसमें भारत के **माननीय प्रधान मंत्री की अपील एवं लोगो** शामिल हैं।
4	सार्वजनिक मूर्ति सफाई
5	स्कूलों/कॉलेजों की सफाई
6	अस्पतालों/पीएचसी की सफाई
7	जिला और मंडल कार्यालयों के कार्यालय परिसर, शौचालय और कचरा स्थानों की सफाई
8	सड़कों और आम जगहों को साफ करने के लिए स्वच्छता अभियान
9	जागरूकता पैदा करने और पर्यावरण की सुरक्षा में सुविधा के लिए **पॉलिथिन बैग और प्लास्टिक सामग्री का संग्रह**
10	खरपतवार का उन्मूलन (गाजर घास, लांटाना, जल कुंभी), आदि
11	स्वच्छता और सफाई पर आईईसी सामग्री का वितरण
12	गांवों को खुले में शौच से मुक्त कराना (ओडीएफ)ः लोगों को शौचालयों के निर्माण और वास्तविक उपयोग के लिए प्रेरित करना
13	श्मशान घाटों का रखरखाव और मरम्मत, खेल के मैदानों का रखरखाव
जल संरक्षण	

14	मौजूदा जल निकायों का रखरखाव/मरम्मत/सुधार
15	तलाबों, प्राकृतिक पेयजल संसाधन, छोटे सिंचाई चैनल, जल टैंक इत्यादि। की सफाई, खुदाई, रखरखाव, गाद निकालना और मरम्मत करना।
16	जल संचयन के लिए गतिविधियां
17	पौधा रोपण
18	**महत्वपूर्ण दिवसों का आयोजन**
ए	स्वच्छ भारत अभियान (25 सितंबर) के शुभारंभ की चौथी सालगिरह
बी	गांधी जयंती का आयोजन (2 अक्टूबर)
सी	वैश्विक हस्त प्रक्षालन (15 अक्टूबर)
डी	विश्व शौचालय दिवस (19 नवंबर)
19	स्वच्छता एवं सफाई के बारे में व्यवहार परिवर्तन के लिए जन जागरूकता गतिविधियां
ए	रैलिया (साइकिल, मोटरसाइकिल, आदि)
बी	प्रभात फेरी
सी	सफाई, एवं स्वच्छता के लिए दौड
डी	प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता
ई	चित्रकारी, पोस्टर बनाना
एफ	निबंध और नारा लेखन
जी	दीवार लेखन
एच	नुक्कड नाटक
आई	स्वच्छता एवं सफाई पर प्रतिष्ठित संदर्भ व्यक्तियों द्वारा व्याख्यान
जे	संगोष्ठियॉ और चर्चा
के	वाद विवाद एवं भाषण प्रतियोगिता
एल	स्थानीय आवश्यकताओं एवं प्राथमिकता के अनुसार अन्य कार्यक्रम

शामिल युवा मंडल की संख्या : जिला नेहरु युवा केन्द्र के सभी युवा मंडल
प्रतिभागियों की संख्या : न्यूनतम 6,000 प्रति जिला
बजट : रुपये 50000 / - प्रति जिला
अवधि : पूरे साल

बी) स्वच्छता पखवाड़ा (1 से 15 अगस्त, 2019)

उद्देश्य

- देश भर में स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करना और कार्यान्वयन की सुविधा देना।

- स्थानीय संसाधनों को संगठित करके स्वच्छता अभियान शुरू करने के लिए युवाओं को प्रमुख भूमिका निभाने के लिए युवाओं को प्रेरित करना।

स्वच्छता पखवाड़ा 01 से 15 अगस्त, 2019 तक आयोजित करने के लिए दिशानिर्देश और कार्य योजना

पृष्ठभूमि

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 68 वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र के अपने पहले संबोधन के दौरान लोगों से अपने आस-पास को साफ और हरा रखने के लिए आग्रह किया था। स्वच्छता एवं सफाई महात्मा गांधी जी दिल के करीब थी और उनके लिए ईश्वर के बाद दूसरा स्थान स्वच्छता का था। देशभर में स्वयं सेवा एवं स्वैच्छिकता की भावना के साथ देश को गंदगी से मुक्त कराने के लिए युवा नेतृत्व में आन्दोलन करना बापू की 150वीं जयंती पर एक बड़ी श्रद्धांजलि होगी।

स्वच्छता पखवाड़ा गतिविधियां पिछले दो वर्षों के दौरान अधिकांश विभागों द्वारा आयोजित की गई हैं और स्वच्छता पखवाड़ा पर एक वास्तविक कार्यक्रम के रूप में उभरा है।

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने सभी युवा संगठनों को स्वच्छता पखवाड़ा को 1 से 15 अगस्त, 2019 तक उचित तरीके से आयोजित करने हेतु आव्हान किया गया है। इस संदर्भ में, नेहरु युवा केन्द्र संगठन द्वारा निर्णय लिया गया है कि स्वच्छता पखवाड़ा के तहत एक राष्ट्रव्यापी गहन सफाई एवं स्वच्छता अभियान जिला नेहरू युवा केंद्रों द्वारा एनवाई स्वयंसेवकों, संबद्ध युवा मंडलों, स्थानीय युवाओं और जिलों में अन्य प्रमुख पणधारियों को शामिल करके और उन्हें प्रेरित करके दिनांक 1 से 15 अगस्त, 2019 तक पूरी तरह से व्यवस्थित कर आयोजित किया जायेगा।

कम से कम दो महीने पहले, जिला नेहरु युवा केन्द्रों को पखवाड़े के दौरान अभिनवी पहल करने के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया का उपयोग करके पखवाड़ा गतिविधियों की ब्रांडिंग और प्रचार के लिए कदम उठाने चाहिए।

स्वच्छता पखवाड़ा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण बिन्दु

- जिला नेहरू युवा केंद्रों को प्रतीकवाद से परे जाना चाहिए।
- पखवाड़ा के दौरान स्वच्छता अभियान के अलावा स्वच्छता की स्थिरता के लिए नए कार्यक्रमों और गतिविधियों के माध्यम से स्थायी तंत्र स्थापित करें।
- स्वच्छता पखवाड़ा कार्य योजना को अपने पखवाड़ा के शुरू होने से दो महीने पहले राज्य कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए।
- पखवाड़ा योजनाओं में दिनांकानुसार विस्तृत गतिविधियां होनी चाहिए।
- पखवाड़ा गतिविधियों में सार्वजनिक प्रतिनिधि जैसे केंद्रीय मंत्री, सांसद, राज्य सरकार मंत्री, विधायक इत्यादि को शामिल किया जाये।
- स्वच्छता गतिविधियों को प्रभावी ढंग से आयोजित करने के लिए जिला प्रशासन को संपर्क किया जाना चाहिए।
- पखवाड़ा के दौरान अभिनव पहल की जानी चाहिए ताकि दैनिक रुप से सफलताएं की कहानियां सृजित हो सके।

सुझाई गई गतिविधियां

गतिविधियों को निम्नलिखित दो घटकों में विभाजित किया गया है।

ए. पर्यावरण निर्माण गतिविधियां

बी. स्वच्छता पखवाड़े की गतिविधियां

ए) पर्यावरण निर्माण गतिविधियां

1. प्रेरणा - युवा मंडलों के सदस्यों और युवाओं को अपने संबंधित क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान आयोजित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

2. स्वच्छ भारत अभियान का लोगो - स्वच्छ भारत अभियान के लोगो सभी स्तरों पर अपनाया जाना चाहिए और लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए।

3. सफाई एवं स्वच्छता के **मुख्य मुद्दों को उजागर करने के लिए बैनर** प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किए जाने चाहिए।

4. स्वच्छ भारत अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सक्रिय समर्थन और मार्गदर्शन के लिए **प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ बैठकें** आयोजित की जानी चाहिए।

5. स्वच्छता शपथ (प्रतिज्ञा)

1 अगस्त, 2019 को नेहरु युवा केन्द्र संगठन के सभी कार्यालय, अर्थात् राष्ट्रीय कार्यालय, राज्य कार्यालयों और जिला नेहरु युवा केन्द्रों के सभी कार्यालयों सभी अधिकारियों के साथ-साथ एनवाई स्वयंसेवकों को 'स्वच्छता शपथ' (प्रतिज्ञा) दिलाई जानी चाहिए। जिला नेहरु युवा केन्द्रों से संबद्ध युवा मंडलों को भी उनके गांवों में आयोजित सार्वजनिक कार्यों में स्वच्छता शपथ (प्रतिज्ञा) लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी में इसकी एक प्रति संलग्न है।

6. इस अभियान पर सार्वजनिक रुप से ध्यान केंद्रित करने एवं सफाई एवं स्वच्छता की आवश्यकता पर गतिविधियां

ए) इस अभियान पर सार्वजनिक रुप से ध्यान केंद्रित करने के लिए और सफाई एवं स्वच्छता की आवश्यकता पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जैसे रैलियां, प्रभात फेरी, स्वच्छता के लिए छोटी दौड, सम्मेलन, संदर्भ व्यक्तियों द्वारा व्याख्यान, नुक्कड नाटकों, पुस्तिकाओं का वितरण और अन्य आईईसी सामग्री, दीवार लेखन और अन्य सामुदायिक गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है।

बी) स्वच्छता पखवाड़ा गतिविधियां

निम्नलिखित गतिविधियों को आयोजित किया जा सकता है। यह सुझाई गई गतिविधियां हैं। जिला नेहरु युवा केन्द्र और युवा मंडल अपनी स्थानीय आवश्यकता के आधार पर अभिनव गतिविधियों को आयोजित करने का निर्णय ले सकते हैं।

क्र.सं.	कार्यक्रम/योजनायें/गतिविधियां
पखवाड़े के दौरान युवा मंडलों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए 623 जिला नेहरु युवा केन्द्रों द्वारा स्वच्छता गतिविधियां का आयोजन	
स्वच्छता पखवाड़ा गतिविधियां	
1	स्वच्छता पर शपथ ग्रहण समारोह (1 अगस्त)

2	भारत के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के संदेश/अपील को पढ़ना। (1 अगस्त)
3	गोष्ठी, सेमिनार और चर्चा (1 अगस्त)
4	अपने गांव की सफाई (2 अगस्त एवं 3 अगस्त)
5	स्वच्छता पर गांव में घर-घर जाकर प्रचार करने का अभियान (ओडीएफ, सामान्य स्वच्छता एवं सफाई (4 अगस्त -6 अगस्त)
6	जिले में संबंधित विभागों से एकत्रित साहित्य का वितरण (4 अगस्त से 6 अगस्त)
7	गांव की सफाई जिसमें स्कूल, आंगनवाड़ी, पंचायत भवन, सार्वजनिक मूर्तियॉ शामिल हैं और जागरूकता गतिविधियॉ आयोजित करना (7 अगस्त से 11 अगस्त)
8	पड़ोसी गांवों में सार्वजनिक संस्थानों, स्वास्थ्य उप केंद्रों, पीएचसी की सफाई और जागरूकता गतिविधियॉ आयोजित करना। कुछ युवा मंडल एक साथ आ सकते हैं और संयुक्त रूप से काम कर सकते हैं (12 अगस्त - 15 अगस्त)
9	गांव में रैली (15 अगस्त)
10	**जागरूकता गतिविधियाँ**
ए	रैलियों (साइकिल, मोटरसाइकिल, आदि)
बी	प्रभात फेरी
सी	सफाई, एवं स्वच्छता के लिए दौड
डी	प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता
ई	चित्रकारी, पोस्टर बनाना
एफ	निबंध और नारा लेखन
जी	दीवार लेखन
एच	नुक्कड नाटक
आई	स्वच्छता एवं सफाई पर प्रतिष्ठित संदर्भ व्यक्तियों द्वारा व्याख्यान
जे	संगोष्ठियॉ और चर्चा
के	वाद विवाद एवं भाषण प्रतियोगिता
एल	स्थानीय आवश्यकताओं एवं प्राथमिकता के अनुसार अन्य कार्यक्रम

शामिल युवा मंडलों की संख्या : नेयुकेसं के सभी युवा मंडल
प्रतिभागियों की संख्या : न्यूनतम 4000 प्रति जिला
बजट : रुपये 25,000 / - प्रति जिला

जिला नेहरु युवा केन्द्र का पालन करने के लिए बिन्दु –

- यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों, युवा मंडलों, युवाओं और हितधारकों के परामर्श से सभी जिला नेहरु युवा केन्द्रों को अपनी रुचि की गतिविधियों के विशिष्ट क्षेत्र को चिह्नित करना चाहिए, जो उपर्युक्त सुझाई गई गतिविधियों से लिए जाएंगे।

- उन्हें अपनी पसंद की स्वच्छता गतिविधियों की पहचान करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की जा सकती है जो उल्लिखित गतिविधियों के अलावा अन्य हो सकती हैं। तदनुसार, संबंधित युवा मंडलों और युवाओं द्वारा किए जाने वाले गतिविधियों का तिथिवार आवंटन सूची तैयार की जानी चाहिए।

- यह सुनिश्चित किया जाये कि जिला नेहरु युवा केन्द्र और युवा मंडल प्रत्येक गतिविधि के पहले और बाद में कम से कम 04 तस्वीरें लेंगे।

- सभी गतिविधियां युवा मंडलों के स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से जायेगी और ये पूरे दिन की गतिविधियां नहीं होंगी।

- फिर भी, अधिक से अधिक ग्रामीणों को इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया जायेगा कि इसे जन आंदोलन बनाया जा सके।

मीडिया और प्रचार

- राज्य निदेशकों/जिला युवा समन्वयक कार्यक्रमों के व्यापक कवरेज के लिए दूरदर्शन, एआईआर और अग्रणी टीवी चैनलों को पत्र लिखना चाहिए।

- इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया प्लेटफार्मों में पखवाड़ा गतिविधियों की बेहतर ब्रांडिंग और प्रचार सुनिश्चित करें। व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि जैसे सोशल मीडिया का बडे पैमाने पर उपयोग करने की आवश्यकता है।

- स्वच्छता पखवाड़ा के प्रमुख परिणामों को उजागर करने के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जानी चाहिए।

- गतिविधियों और पहलों को उजागर करने के लिए अपने पखवाड़ा की समाप्ति पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाना चाहिए।

- इस संबंध में रेडियो, टेलीविजन और समाचार पत्र, डिजिटल मीडिया जैसे इंटरनेट, सोशल नेटवर्क साइट्स और मोबाइल इत्यादि जैसे बड़े पैमाने पर मीडिया का प्रभावी उपयोग किया जा सकता है।

प्रगति रिपोर्ट

स्वच्छता पखवाड़ा के समापन पर, राज्य निदेशकों द्वारा नेहरु युवा केन्द्र संगठन मुख्यालय को नवीनतम दिनांक 18 अगस्त, 2018 तक निम्नलिखित जमा करना होगा। जिससे कि इसे युवा मामले विभाग को आगे प्रस्तुत किया जा सके।

- **अंतिम रिपोर्टः**

✓ **अंतिम संचयी गतिविधियां निर्धारित प्रारूप में प्रगति रिपोर्ट।**
✓ **पखवाड़ा के दौरान की गई गतिविधियों की विस्तृत रिपोर्ट।**
✓ **संबंधित कार्रवाई तस्वीरें, समाचार पत्र कतरनों और ऑडियो-विजुअल क्लिप।**
✓ **पखवाड़ा के दौरान क्षेत्र के कार्यालयों द्वारा जारी विशेष दस्तावेज जारी हो सकता है।**

SWACHHATA PLEDGE

Mahatma Gandhi dreamt of an India which was not only free but also clean and developed.

Mahatma Gandhi secured freedom for Mother India.

Now it is our duty to serve Mother India by keeping the country neat and clean.

I take this pledge that I will remain committed towards cleanliness and devote time for this.

I will devote 100 hours per year that is two hours per week to voluntary work for cleanliness.

I will neither litter nor let others litter.

I will initiate the quest for cleanliness with myself, my family, my locality, my village and my work place.

I believe that the countries of the world that appear clean are so because their citizens don't indulge in littering nor do they allow it to happen. With this firm belief, I will propagate the message of Swachh Bharat Mission in villages and towns.

I will encourage 100 other persons to take this pledge which I am taking today.

I will endeavour to make them devote their 100 hours for cleanliness.

I am confident that every step I take towards cleanliness will help in making my country clean.

*****

स्वच्छता शपथ

महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनैतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी।

महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आज़ाद कराया।

अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें।

मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा।

हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा।

मैं न गंदगी करूंगा न किसी और को करने दूंगा।

सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मुहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा।

मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं।

इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा।

मैं आज जो शपथ ले रहा हूं, वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा।

वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा।

मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा।

***

सी) कार्य शिविर

कार्य शिविर का विषय **जल स्रोतों की स्वच्छता और संरक्षण होगा।**

कार्य शिविर के माध्यम से सामुदायिक संपत्ति बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान युवाओं में पानी की साक्षरता से संबंधित मुद्दों, अन्य विभागों/एजेंसियों के साथ युवा मंडलों के लिंक का पता लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा, कार्यक्रम के दौरान, प्रतिभागी न केवल आपस में, बल्कि साथी ग्रामीणों के साथ जल स्रोतों की साफ-सफाई, जल साक्षरता और संरक्षण के लिए विभागों और एजेंसियों की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा करेंगे और ऐसी योजनाओं को लेने में ग्रामीणों की मदद करेंगे। इसका यह भी मतलब है कि, शिविर में भाग लेने के बाद युवा अपने-अपने गाँव में इसी तरह की गतिविधियाँ करते हैं।

उद्देश्यः

इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा मंडलों के सदस्यों के बीच स्वेच्छा और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैंः

- युवाओं में श्रम की गरिमा की भावना पैदा करना।
- जल स्रोतों की स्वच्छता और संरक्षण से संबंधित मुद्दों को समझने का अवसर प्रदान करना।

जोर देना चाहिएः –

- मूल्यों और प्रथाओं को उत्पन्न करने के लिए जैसेः **स्वयंसेवा, स्व-सहायता, एक साथ काम कर हम की भावना**
- सामुदायिक परिसंपत्तियों के रखरखाव के मुद्दों और समाधानों के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता की भावना उत्पन्न करना।
- सामुदायिक स्तर को बनाए रखने/बनाने के लिए सामुदायिक स्तर पर योजना के लिए व्यावहारिक समर्थन प्रदान करना।

शिविर की सामग्रीः

दिनचर्या

- ✓ योग
- ✓ परियोजना कार्य (श्रमदान)
- ✓ जल साक्षरता और संरक्षण पर समूह चर्चा/व्याख्यान आदिः स्वच्छता सहित अपशिष्ट जल का निपटान, जल संचयन और प्रबंधन
- ✓ गाँव की सामाजिक संरचना की गतिशीलता।
- ✓ सामुदायिक कार्रवाई के लिए युवाओं का जुटान।
- ✓ जल संरक्षण परियोजनाओं पर अन्य विभागों/एजेंसियों के साथ समन्वय।
- ✓ आधुनिक कृषि पद्धतियाँ, कृषि आधारित लघु उद्योग
- ✓ सांस्कृतिक कार्यक्रम।
- ✓ सामुदायिक गायन

✓ कैंप फायर

श्रमदान के लिए परियोजना

- कार्य शिविर के तहत परियोजना में छोटे सिंचाई चैनल, कुओं की खुदाई, पानी की टंकियों की गाद निकालना, पानी की टंकी का निर्माण, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, पीने के पानी के कुंओं का कीटाणु शोधन, गाँव के तालाबों और कुओं का गहरा करना शामिल किया जा सकता है। यह केवल एक चित्रण सूची है, युवा समन्वयक, युवा मंडल के अधिकारियों के परामर्श से, गाँव की जरूरतों के आधार पर रखरखाव/सामुदायिक संपत्ति के निर्माण की योजना बनाना चाहिए।

- कच्ची सड़कों की मरम्मत, गलियों और नालियों की सफाई सोख गड्ढों की और खाद के गड्ढों खुदाई आदि की परियोजनाओं/कार्यों को कार्य शिविरों में नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, उन परियोजनाओं को, जिन्हें केवल एक युवा मंडल के कुछ सदस्यों के साथ पूरा किया जा सकता है, को कार्य शिविर के परियोजना के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

- वित्तीय दृष्टि से किसी कार्य शिविर में बनाई गई संपत्ति का मूल्य कार्यक्रम के बजट से कई गुना अधिक होना चाहिए। हालाँकि, इस तरह की गतिविधियों को स्थानीय पहल और संसाधन जुटाने के साथ लिया जा सकता है।

योजना और समन्वयः

- सामान्य रूप से लोगों और विशेष रूप से युवाओं में श्रम की गरिमा की भावना को बढ़ाने के लिए, स्थानीयसंसाधनों को जुटाकर एक कार्य शिविर (सामुदायिक विकास कार्यक्रम) आयोजित किया जाना चाहिए।

- परियोजना / सामुदायिक संपत्ति टिकाऊ, मूर्त और उपयोगी होनी चाहिए।

- किसी भी विकासात्मक गतिविधि को लेने के लिए ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के साथ समन्वय के लिए संभावनाओं का पता लगाया जा सकता है।

- स्थानीय और आसपास के गांवों के युवा मंडल के सदस्यों को भी भाग लेना चाहिए।

- स्थानीय मेजबान युवा मंडल को रचनात्मक कार्य शिविर गतिविधि की योजना बनानी चाहिए।

- प्रयास किया जाये कि गाँव की ग्राम पंचायत शिविर और निर्माण सामग्री के भोजन एवं आवास व्यय खर्च को वहन कर सके।

शिविर की अवधि	:	03 दिन
प्रति शिविर प्रतिभागियों की संख्या	:	40
एक जिले में कार्यक्रमों की संख्या	:	623 जिला नेहरु युवा केन्द्रों में प्रत्येक में एक
अनुवर्ती कार्रवाई करें	:	कार्य शिविर का आयोजन करने वाले युवा मंडल द्वारा बनाई गई संपत्ति का रखरखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

समन्वय : कार्य शिविर कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन, जिला परिषद, ग्राम पंचायतऔर स्थानीयजन प्रतिनिधियों के साथ समन्वय होनाचाहिए।

कार्यक्रम का प्रभाव : कार्यक्रम के उद्देश्यों के प्रभाव और उपलब्धि को मूल्यांकन, जिला युवा समन्वयक द्वाराकार्यक्रम के अंत में करना चाहिए। और उसीके आधार
पर अंतिम रिपोर्ट बनाई जानीचाहिए।

बजट (प्रति जिला) : रुपये 25,000/-

एक कार्यक्रम के लिए बजट

शीर्ष	**दर**	**राशि (रुपयों में)**
आवास एवं भोजन	रुपये 150/- प्रति शीर्ष प्रतिदिन (150 x 40 x 3)	18,000
संगठनात्मक और विविध व्यय		7,000
कुल		**25,000**

---

9. जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट युवा मंडलों को पुरस्कार (एओवाईसी)

परिचय

उत्कृष्ट युवा मंडल को पुरस्कारों की योजना युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी और नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। युवा मंडल बुनियादी तौर पर युवाओं का एक संघ होते हैं जो क्षेत्र में स्वैच्छा से साक्षरता, पर्यावारण समृद्धि, महिला सशक्तीकरण, व्यवसायिक प्रशिक्षण, दहेज, अस्पृश्यता उन्मूलन, वनीकरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण आदि क्षेत्रों में कार्य कर रहे होते हैं।

इसके अतिरिक्त, युवा मंडल स्थानीय और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सामाजिक अभियान, जागरूकता अभियान चलाते हैं। वे समुदाय विकास, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों तथा अन्य विकास कार्यक्रमों में भी भिन्न स्तरों पर विभिन्न विकास विभागों तथा अभिकरणों के साथ समन्वय में अग्रणी रहते हैं। युवा मंडल ने ग्रामों में सहयोगपूर्ण तथा स्वैच्छिक ढंग से परिसम्पत्तियों के सृजन तथा सांगठनिक कौशल निर्माण में ग्राम पंचायतों को सहायता प्रदान की है।

उद्देश्य

"योजना का मूल उद्देश्य"युवामंडलोंकेविकासकोप्रोत्साहनदेनाहै, जो सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक माने जाते हैं। यह महसूस किया गया है कि युवा मंडल राष्ट्र के निर्माण तथा अन्य गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं जैसेकि साक्षरता, कौशल विकास प्रशिक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्रीय अखंडता, सामाजिक समरसता, खेल, गांवों में टिकाऊ समुदाय **परिसम्पत्तियों** का सृजन इत्यादि।

योजना में युवा मंडलों का विकास तथा उनकी विकासात्मक गतिविधियां भी शामिल हैं, ताकि अधिक से अधिक संख्या में युवा मंडलों को समुदाय कल्याण तथा राष्ट्र निर्माण गतिविधियों के लिए आगे आने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके। इस योजना के प्रारंभ से सरकार को आशा है कि न केवल मौजूदा युवा मंडल एक अधिक सार्थक भूमिका निभाएंगे अपितु भविष्य में युवा मंडलों की संख्या में वृद्धि भी होगी।

यह योजना तीन स्तरों पर चलाई जाती है जो कि जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर हैं। प्रारंभिक चयन जिला स्तर पर किया जाता है तथा राज्य स्तर से होते हुए अंत में राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचता है। जिला स्तर पर अर्हता प्राप्त करने वाले विजेता स्वतः राज्य स्तर की प्रतियोगिता के लिए अर्ह हो जाते हैं। इसी प्रकार राज्य स्तर पर अर्हता प्राप्त करने वाले विजेता स्वतः राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए अर्ह हो जाते हैं।

पुरस्कार

जिला स्तरपर विजेता को **रू. 25,000** तथा **राज्य स्तरपररू. 1,00,000** और **राष्ट्रीय स्तर पर** क्रमशः रू. **5,00,000,रू. 3,00,000** तथा **रू. 2,00,000** के **प्रथम, द्वितीय** और **तृतीय पुरस्कार** एवं एक प्रशस्ति पत्र/प्रमाणपत्र दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए असाधारण युवा मंडलों को पुरस्कारों की योजना की एक प्रति **परिशिष्ट-13** पर दी गई है।

नोट :

- जिन युवा मण्डल/महिला मंडल को विगत् दो वर्षों में उत्कृष्ट युवा मण्डल पुरस्कार दिया जा चुका है वे इस वर्ष आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
- केवल वही युवा मंडल एओवाईसी योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र होगें जो पंजीकृत हैं और जिला नेहरु युवा केन्द्र के साथ संबद्ध हैं।
- आवेदक युवा मंडलों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट अनिवार्य होगी।
- जिला और राज्य स्तरों पर उत्कृष्ट युवा मंडल जिला और राज्य स्तरों पर उत्कृष्ट युवा मंडलों को चुनने और पुरस्कार देने के लिए समय रेखा का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।
- पुरस्कार विजेताओं का चयन केवल नामित चयन समितियों द्वारा किया जाना चाहिए।

---

10. विषय आधारित जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम

लक्ष्य

- अपने जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों और चिंताओं को दूर करने में ग्रामीण युवाओं की क्षमता बढ़ाना।

- संकल्प से सिद्धि-भारत, गरीबी मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, सांप्रदायिकता, जातिवाद, आदि की प्रक्रियाओं में स्वयं को और अन्य लोगों को शामिल करने के लिए युवाओं को शिक्षित और जागरूक करना।

- सेवा भाव (सेवा की भावना) के साथ काम करने के लिए सकारात्मक मानसिकता के साथ, सकारात्मक भारत से नए प्रगतिशील भारत के लिए निष्काम कर्म के साथ ठोस कदम उठाना।

- राष्ट्रवाद, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और सब का साथ, सब का विकास और सब का विश्वास की भावना को जगाना।

- भारत सरकार की राष्ट्रीय फ्लैगशिप योजनाएँ – प्रधान मंत्री वित्तीय और सामाजिक समावेश योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए ग्रामीणों को बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करना।

अवधिः 1 दिन प्रत्येक

समय सीमाः दूसरी और तीसरी तिमाही

प्रतिभागियों/लाभार्थियों की संख्या :80प्रति कार्यक्रमए ब्लॉक से युवा नेताओं की भागीदारीके साथ। प्रत्येक युवा मंडलके 2-3 प्रतिनिधि (युवा मंडल के अध्यक्ष और सचिवया कोई अन्य प्रतिनिधिजैसा कि मंडल तय कर सकता है) कार्यक्रम में भागलेंगे।

आयोजित की जाने वाली गतिविधियां: संदर्भ सामग्री तैयार करना, विषय विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान, उल्लेखित विषय परचर्चा और बहस,प्रश्न उत्तर सत्र, सर्वोत्तम अभ्यासः कहानियाँ बताना।

कार्यक्रमों की संख्याः निम्नलिखित तालिका में दिए गए मानदंडों के अनुसार जिले में ब्लॉक की संख्या के आधार परः

श्रेणी	**प्रति जिला कार्यक्रमों की संख्या @ रुपये 15,000/- प्रति केन्द्र**	**राशि (रुपयों में)**	**कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या जो न्यूनतम/ 80 प्रति कार्यक्रम कवर हो रहे हैं।**
1-3 ब्लॉक वाले जिले	1	15,000/-	80
4-5 ब्लॉक वाले जिले	2	30,000/-	160
6-10 ब्लॉक वाले जिले	4	60,000/-	320
11-15 ब्लॉक वाले जिले	6	90,000/-	480
16 और उससे अधिक ब्लॉक वाले जिले	7	1,05,000/-	560

कार्यक्रम के दौरान कवर किए जाने वाले क्षेत्रों पर ध्यान दें:

सेवा भाव (सेवा का भाव), निष्काम कर्म के साथ सकारात्मक भारत से नए प्रगतिशील भारत के लिए।

राष्ट्रवाद, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना को जगाना

भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाएँ राष्ट्रीय वित्तीय और सामाजिक समावेशन ।

कार्यान्वयन रणनीति

- जिला युवा समन्वयकों को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए स्थल का चयन करना चाहिए जहाँ ''विषय आधारित जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम'' का सफल आयोजन किया जा सके। उदाहरण के लिए, ऐसा स्थान जहां चर्चा, व्याख्यान, शिक्षण सहायता और उपकरणों के लिए जगह, बिजली के साथ बिजली, पानी, स्वच्छता और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं।

- युवा मंडल, प्रशिक्षित पदाधिकारी और नामित एनवाईसी स्वयंसेवकों को सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए और कार्यक्रम का प्रभारी बनाया जाना चाहिए।

- जिला युवा समन्वयकों को उपर्युक्त क्षेत्रों से संबंधित विषयों की पहचान करनी चाहिए। तदनुसार, विकास विभागों और एजेंसियों के संबंधित प्रमुखों को उनके विशेषज्ञों और संसाधन व्यक्तियों के साथ अंतिम रूप दिया जाएगा जो व्याख्यान के माध्यम से जागरूकता और शिक्षा प्रदान कर सकते हैं और साथ ही कार्यक्रम और सीमित चर्चा के तहत कवर किए जाने वाले चयनित विषयों और विषयों पर आईईसी सामग्री प्रदान कर सकते हैं।

- जिला युवा समन्वयक प्रत्येक कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहें और कार्यक्रम के लाभार्थियों का मार्गदर्शन करें।

- प्रत्येक जिला युवा समन्वयक को प्रतिभागियों और संदर्भ व्यक्तियों को - विषय आधारित जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम '' की तारीखों, स्थानों और अन्य विवरणों को अच्छी तरह से सूचित करना होगा ताकि वे पूरी तैयारी के साथ कार्यक्रम में शामिल हो सकें।

- शिक्षित युवा अपने सहकर्मी और ग्राम समुदायों को अपने संबंधित युवा मंडल गांवों में उनकी रुचि के कम से कम दो चिन्हित क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रेरित करने के लिए भी प्रेरित किया जाना चाहिए।

- जिला नेहरु युवा केन्द्र कार्यक्रमों के लिए कार्यक्रम अनुसूची, कार्यक्रम की संरचना, प्रत्येक कार्यक्रमों में शामिल किए जाने वाले विषयों, वक्ताओं, कार्यक्रमों के स्थल आदि को अंतिम रूप देगा।

- कार्यक्रमों में शामिल विषयों पर आवश्यक संदर्भ सामग्री की भी व्यवस्था की जाएगी।

- पूरी योजना पर विकास विभागों/एजेंसियों के सरकारी अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।

- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जनप्रतिनिधि माननीय मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, एमएलसी के साथ-साथ विकास विभागों के प्रमुखों, गैर सरकारी संगठनों, एजेंसियों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए।

- कार्यक्रम मुख्य रूप से भागीदारी और परस्पर संवादात्मक प्रकृति का होगा।

समन्वय और समर्थन जुटाना

- उपर्युक्त विकास और कल्याण क्षेत्रों में काम कर रहे सभी विभागों के विकास प्रमुखों और अन्य एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को अपने अधिकारियों और विशेषज्ञों हों संदर्भ व्यक्तियों के रूप में नामित करने और उनकी योजनाओं की प्रतियां, आईईसी सामग्री और कार्यक्रमों के आयोजन में सहायता प्रदान करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर, जिला पंचायत के अध्यक्ष और जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी द्वारा एक पत्र को भेजा जाना चाहिए।

- विकास विभागों और एजेंसियों के प्रमुखों को कार्यक्रम के दौरान सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए, जो ग्रामीण स्तर की गतिविधियों के लिए मार्गदर्शक, सूत्रधार, संदर्भ व्यक्ति और सहायता प्रदाता हैं।

- कार्यक्रम जिला प्रशासन के साथ निकट सहयोग से आयोजित किए जाने चाहिए। इस मामले पर युवा कार्यक्रमों पर जिला स्तरीय सलाहकार समितियों में चर्चा की जानी चाहिए।

संदर्भ व्यक्ति और आई.ई.सी.

- कार्यक्रम अनुसूची और संदर्भ सामग्री जिला नेयुके द्वारा संदर्भ व्यक्तियों के परामर्श से विकसित की जाएगी। इनके संदर्भ के लिए पंचायती राज संस्थाओं के प्रमुखों और निर्वाचित सदस्यों, राय के नेताओं और युवा मंडल के पदाधिकारियों को भी उसी की एक प्रति प्रदान की जा सकती है।

- पहचान किए गए विषयों पर परियोजना और आई.ई.सी. सामग्री के रूप में सभी प्रासंगिक मुद्रित संदर्भ सामग्री प्रतिभागियों को पंजीकरण के समय प्रदान की जानी चाहिए।

- पहले से, पहचाने गए अधिकारियों, संदर्भ व्यक्तियों और विशेषज्ञों को इस कार्यक्रम के उद्देश्यों, अपेक्षाओं और इसके परिणामों के बारे में जानकारी दी जाती है।

- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संदर्भ व्यक्तियों के पास / उसके लिए आवंटित विषय में गहन जानकारी और ज्ञान होना चाहिए और इसे युवा मंडल की भूमिकाओं के साथ जोड़ सकते हैं जो युवा और ग्राम समुदायों के विकास और सशक्तिकरण को दर्शाता है। ।

प्रति कार्यक्रम बजट

शीर्ष	**दर (रुपयों में)**	**राशि (रुपयों में)**
आवास एवं भोजन	80 प्रतिभागियों के लिए @ रुपये 100/- प्रति व्यक्ति(100 x 80)	8,000
संदर्भ व्यक्तियों और संदर्भ सामग्री के लिए मानदेय	--	4,000
संगठनात्मक व्यय	बैनर, फोटोग्राफी आदि	3,000
कुल		**15,000**

विशेष कार्यक्रम

1. 21 जून 2019 को राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तरों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के रूप में सामूहिक योग प्रदर्शन और गतिविधियाँ

पृष्ठभूमि

27 सितंबर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69 सत्र में भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व समुदाय से योग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस अपनाने का आग्रह किया।

माननीय प्रधान मंत्री ने वैश्विक समुदाय के साथ साझा किया कि "योग प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है।यह मनऔर शरीर की एकता; विचार और कार्य; संयम और पूर्णता; मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य और स्वास्थ्य के समग्र दृष्टिकोण; का प्रतीक है। योग व्यायाम के बारे में नहीं है, बल्कि स्वयं, दुनिया और प्रकृति के साथ एकता की भावना की खोज करने के लिए है। हमारी जीवन शैली को बदलने और चेतना पैदा करने से, यह हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपनाने की दिशा में काम करें।"

यह सभी भारतीयों के लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है कि 11 दिसंबर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को रिकॉर्ड 177 सह-प्रायोजक देशों के साथ 21 जून को "अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस" के रूप में स्थापित करने का संकल्पलिया। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैश्विक एकता सद्भाव के साथ-साथ शांति और विकास के लिए वैचारिक योगदान के वैश्विक समुदाय द्वारा एक स्वीकृति है।

योग हमारी पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत है और हर भारतीय के दिल के करीब है। दुनिया भर में योग का अभ्यास किया जाता है और इसकी गैर-आक्रामक प्रकृति और ड्रग रहित चरित्र के कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्राप्त हुआ है। योग व्यक्ति के जीवन का तरीका है और उनके शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखने में मदद करता है।

21 जून, 2019 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सामान्य रूप से लोगो की और विशेष रूप से युवाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी के साथ का आयोजन भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

तैयार गतिविधियों और ध्यान देने योग्य बातें

युवाओं की सक्रिय भागीदारी, सहायता और प्रशिक्षण के लिए जिला प्रशासन, आयुष, गैर सरकारी संगठनों, एनसीसी, एनएसएस, रेड क्रॉस, स्कूलों और कॉलेजों के प्राचार्यों और अन्य एजेंसियों के साथ तैयारी बैठकें आयोजित की जानी चाहिए

- 280 जिला नेयुके में प्रत्येक को जिला मुख्यालय में आम योग प्रोटोकॉल के अनुसार योग प्रदर्शन सुनिश्चित करना चाहिए।
- 21 जून, 2019 को जिला नेयुके और उप-जिला स्तर पर या अपने संबंधित गांवों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए ब्लॉक पड़ोस युवा संसद के दौरान नेयुके युवा मंडलोको प्रशिक्षित और प्रेरित करेगे ।

- जिला नेयुके 21 जून, 2019 को जिला, क्लस्टर और ब्लॉक स्तर पर गतिविधियों का आयोजन करने के लिए स्वतंत्र होगा, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मौजूद युवा मंडलों और अधिकांश गांवों में दिवस का आयोजन किया जाए।
- जिला स्तर पर योग प्रदर्शन का आयोजन किया जाए।
- सभी स्तरों पर लोक प्रतिनिधियों और सिविल प्रशासन का समावेश सुनिश्चित किया जाना चाहिएः
- योग प्रशिक्षकों की पहचान – विभिन्न स्तरों पर योग सीखने, प्रशिक्षण देने और अभ्यास के लिए उन्हें पहले से ही चिन्हित किया जाना चाहिए।
- प्रख्यात योग गुरुओं को 21 जून, 2019 को जिला और राज्य स्तरों पर कार्यों के दौरान चिन्हित कर सम्मानित किया जाना चाहिए।
- बुकलेट और डीवीडी/सीडी की प्रतियां प्रत्येक प्रतिभागी को उनके किट बैग सामग्री के एक भाग के रूप में प्रदान की जानी चाहिए।
- बुकलेट (हिंदी और अंग्रेजी दोनों), डीवीडी/सीडी/आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित लोगो का डिज़ाइन नेयुकेस की वेबसाइट www.nyks.nic.in पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए, जिसका उपयोग नेयुकेस के नाम और लोगो के साथ आवश्यक मार्गदर्शन और प्रचार के लिए किया जा सकता है।
- प्रशिक्षण, सीखने और अभ्यास योग सत्र – नेयुकेस के अधिकारियों को आम योग प्रोटोकॉल में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक योजना बनानी चाहिए।

कार्यक्रम के प्रकार और आयोजित की जाने वाली गतिविधियां

ए) ब्लॉक स्तरीय पड़ोस युवा संसद

- नेयुके के युवा मंडलो की प्रेरणा के लिए, युवा मंडलों के युवा नेताओं की भागीदारी के साथ-साथ ब्लॉक स्तर पर पड़ोस युवा संसदों का आयोजन किया जाना चाहिए। निम्नलिखित कार्यों को क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा देखा जाना चाहिए और उनका अनुपालन किया जाना चाहिएः

- ब्लॉक स्तर पर पड़ोस के युवा संसदों के लिए रु 12,000/- का प्रावधान किया गया है। निर्धारित प्रक्रिया और दिशानिर्देशों के अनुसार 80 युवाओं की भागीदारी के साथ – 10 से 19 जून, 2019 के बीच आयोजन कार्य पूरा किया जाना चाहिए।

- विशेषज्ञों/योग गुरुओं द्वारा योग में अध्यक्षों/सचिवों/पदाधिकारियों का समुचित प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। 19 और 20 जून, 2019 को सभी स्तरों पर योग का पूर्वाभ्यास अनिवार्य होगा।

- आयुष विशेषज्ञों की सेवाओं के अलावा, योग पर प्रशिक्षण के लिए अन्य विशेषज्ञों के अनुसार सामान्य योग प्रोटोकॉल का लाभ उठाया जाना चाहिए और आयुष पुस्तिका में दिए गए आसनों का अभ्यास उसी क्रम में किया जाना चाहिए।

- पड़ोस युवा संसदों के आयोजनो के दौरान, युवा मंडलों के नेताओं को आम योग प्रोटोकॉल के अनुसार योग शिविर/प्रदर्शन आयोजित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए और अपने-अपने गाँव/उप-जिला स्तर और संगठनों में स्थानीय लोगों को जुटाकर योग पर फिल्म/वीडियो दिखाना चाहिए और योग विशेषज्ञ और संसाधन 21 जून, 2019 को आयोजित किया जाना चाहिए

- योग शिविर/प्रदर्शन में भाग लेने के लिए अधिकतम ग्रामीणों को प्रेरित किया जाना चाहिए।

- आयुष मंत्रालय द्वारा चिन्हित गए एनजीओ और उनके विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग प्रशिक्षण और प्रदर्शन के लिए किया जाना चाहिए।

- बुकलेट और डीवीडी/सीडी की प्रतियां प्रतिभागियों को उनके किट बैग सामग्री के एक भाग के रूप में प्रदान की जानी चाहिए।

- बुकलेट (हिंदी और अंग्रेजी दोनों), डीवीडी/सीडी/आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित लोगो का डिज़ाइन नेयुकेस की वेबसाइटः www.nyks.nic.inपर प्रदर्शित किया जाना चाहिए, जिसका उपयोग नेयुकेस के नाम और लोगो के साथ आवश्यक मार्गदर्शन और प्रचार के लिए किया जा सकता है।

ख) जिला युवा सम्मेलन – जिला स्तरीय योग प्रदर्शन, समारोह और प्रदर्शनियां

- पूर्णकालिक जिला समन्वयक स्थानीय युवाओं को शामिल करते हुए योग प्रोटोकॉल के अनुसार 280 जिला स्तर युवा सामूहिक योग अभ्यास/प्रदर्शन का आयोजन करेंगे।

- जिला युवा सम्मेलन को वार्षिक कार्य योजना 2019-20 के दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित किया जाना चाहिए।

- रु 30,000/- जिला युवा सम्मेलन के लिए निर्धारित किया गया है न्यूनतम 200 युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

- जिला युवा सम्मेलन के भाग के रूप में निम्नलिखित क्षेत्रों और विषयों पर भी चर्चा की जानी चाहिए और उनके परिणामों को प्रलेखित किया जाना चाहिएः

- योग,स्वास्थ्य, सोहार्द और शरीर के लिए योग।

- योग न केवल व्यक्ति के शरीर का बल्कि मस्तिष्क का भी विकास करता है और समन्वय के लिए भी महत्वपूर्ण है।

- बीमारियों के उपचार में योग का महत्व और उपयोगिता है।

ग) राज्य स्तरीय विशाल योग प्रदर्शन, समारोह और युवा सम्मेलन

- 10 चयनित राज्यों की राजधानियों में विशाल राज्य स्तरीय विशाल योग प्रदर्शन, समारोह और युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाना चाहिए जिसमें 2,500 युवा शामिल भाग लेंगे। इस प्रयोजन के लिए वार्षिक कार्य योजना 2019-20 में, रुपये 1.00 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है।

- राज्य के राजधानियों में 21 जून 2019 को योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मेगा राज्य स्तर के पालन के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्य निदेशकों द्वारा देखे जाने वाले बिंदु, निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्रवाई की आवश्यकता हैः

ए) योग गुरुओं के नामों को पहले से चिन्हित और चयनित किया जाना चाहिए। उन्हें उपयुक्त रूप से मेमेंटो, शॉल और फूलों से सम्मानित किया जाना चाहिए।

बी) राष्ट्रीय व्यक्तित्व और प्रतीक को आमंत्रित करें।

सी) मीडिया के सभी रूपों को शामिल किया जाना चाहिए।

डी) राज्य निदेशकों द्वारा स्थानीय और राज्य स्तर पर विज्ञापन जारी करना।

ई) कार्यक्रम से 10-12 दिन पहले बिग फ्लेक्स बैनर।

एफ) वीआईपी व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाना चाहिए और उनके कार्यक्रम को पहले से ही अंतिम रूप देना चाहिए

जी) योग के विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा युवा सम्मेलन, व्याख्यान

संदर्भ के लिए सामान्य बिन्दु

- प्रतिभागियों के रूप में युवाओं को समाज के सभी क्षेत्रों और वर्गों से लिया जाना चाहिए। प्रतिभागियों में 30 %युवा महिलाएं होनी चाहिए।

- जहां जिला और राज्य प्रशासन उस मामले में पैसा खर्च कर रहा है, वहीं नेयुके को अपना बजट उसी मद में खर्च नहीं करना चाहिए।

- वीडियो (फिल्म) को कार्यक्रम के दौरान दिखाया जाना चाहिए।

- नेयुके के कार्यक्रम की दृश्यता के लिए, कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त संख्या में बैनर प्रदर्शित होने चाहिए। बैनरों पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का लोगो – 21 जून, 2019 और विषय (सद्भाव और शांति के लिए योग) प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

- नेयुकेस की वेबसाइट के होम पेज पर www.nyks.nic.inयोग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का लोगो रखा जाएगा। लोगो पर क्लिक करते समय, एक नई विंडो खुलेगी, जहां हिंदी और अंग्रेजी में कॉमन योग प्रोटोकॉल पर एक बुकलेट मिलेगी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित पोस्टर और वीडियो दिखाई देंगे ।

समन्वय और सिनर्जी

- एनएसएस, एनसीसी, एसएआई, रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रमुख, स्कूलों, कॉलेजों, संस्थानों के प्राचार्य, असम राइफल्स, आयुष, योग संगठनों, युवा अचीवर्स, पुरस्कार विजेताओं और अन्य जो सुविधा प्रदान कर सकते हैं, वे समन्वय, चर्चा और संसाधन जुटाएंगे।

- गैर सरकारी संगठनों, योग संगठनों और उनके विशेषज्ञों की सेवाओं, जिन्हें आयुष मंत्रालय और अन्य संगठनों द्वारा पहचाना जाता है,उनसे समन्वय स्थापित किया जाएगा और उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाना चाहिए।

- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में कवरेज

- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में व्यापक कवरेज सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

- जिला नेयुके को जिला स्तर पर जिला नेयुके तथा ग्राम स्तर पर ग्राम स्तर पर युवा मंडलो, द्वारा आयोजित गतिविधियों के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में कवरेज सुनिश्चित करना चाहिए

- इस उद्देश्य के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस स्वैच्छिक आधार पर अग्रिम में आयोजित की जा सकती हैं।

- प्रेस विज्ञप्ति और तस्वीरें मीडिया प्रिंट, ऑडियो/वीडियो (टीवी) और इंटरनेट/वेबसाइटों के साथ-साथ सोशल मीडिया के लिए भी दी जानी चाहिए।

- योजनाओं को पीआईबी,एएनआई, यूएनआई, डीडी, एआईआर और अन्य के साथ-साथ प्रिंट मीडिया पर दिया जाना चाहिए

कवरेज, स्तर और युवा भागीदारी

नेहरू युवा केंद्र संगठन (नेयुकेस), दुनिया के सबसे बड़े युवा नेटवर्क में से एक ने सामूहिक योग प्रदर्शन और गतिविधियों को व्यवस्थित करने की योजना बनाई हैः

स्तर	**कार्यक्रमों की संख्या**	**प्रतिभागियों की संख्या**	**बजट (रुपयों में)**
राज्य स्तर	10	25,000 युवा (चयनित 10 राज्यों में 2,500 युवा)	1.00 करोड़
जिला स्तर	280	56,000 युवा (प्रति जिले 200 युवा)	84.00 लाख
ब्लॉक स्तर	5000	4,00,000 युवा (80 युवा नेता प्रति पड़ोस युवा संसद)	6.00 करोड़
गांवों/उप-जिला स्तर	25,000	25,00,000	स्वैच्छिक आधार
	30,290	**29,81,000 युवा**	**7.84 करोड़**

2. राष्ट्रीय स्तर पर ''देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण'' पर भाषण प्रतियोगिता (वर्ष 2019-20) (गणतंत्र दिवस उत्सव 2019 .20के एक भाग के रूप में)

विषय - **सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास (सबका हम साथ मिलकर समृद्ध होते हैं, हम एक साथ मजबूत और समावेशी भारत का निर्माण करते हैं)।**

गणतंत्र दिवस के समारोह में युवाओं की जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन (नेयुकेसं) 2015-16 से लगातार राष्ट्रीय स्तरीय भाषण का प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। चालू वित्त वर्ष अर्थात 2019-20से, वार्षिक कार्य योजना के तहत कोर कार्यक्रम की सूची में भाषण प्रतियोगिता को जोड़ा गया है।

भाषण प्रतियोगिता 18-29 वर्ष के युवाओं को एक ओर अपनी प्रस्तुति कौशल और जनता के सम्मुख बोलने की कला को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है और दूसरी तरफ भारत में युवाओं के बीच स्वस्थ एवं सकारात्मक संरक्षण के द्वारा संपूर्ण युवा समुदाय के बीच अपेक्षित वातावरण का सृजन करता है और सोशल मीडिया को सक्रिय करने, जागरूकता निर्माण, लोकप्रियता और सरकार के राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए संभावित युवा नेता सृजित करते हैं और राष्ट्रवाद औद देशभक्ति की भावना को जाग्रत करते हैं। इससे उन्हें उनके नेतृत्व के गुणों को विकसित और परिष्कृत करने में भी मदद मिलेगी।

उद्देश्य

1) राष्ट्र निर्माण में बढ़ती भागीदारी के लिए युवाओं और जनता के बीच राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना उत्पन्न करना।

2) सरकार के प्रमुख योजनाओं को लोकप्रिय बनाने में नेतृत्व करने के लिए उनके आगे के विकास और सशक्तिकरण के लिए नेतृत्व गुणों और अच्छे संचार कौशल के साथ युवाओं की पहचान करना।

लक्ष्य समूह और योग्यता

- 18-29 साल के आयु वर्ग के युवा।
- केवल वही युवा पात्र होगें जिन्होंने वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान जिला नेहरु युवा केन्द्र द्वारा आयोजित देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण पर भाषण प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया हो।

भौगोलिक विस्तार

लगभग 5898 ब्लॉक, 623 जिला 31राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर।

प्रतियोगिता और पुरस्कार का स्तर

- ब्लॉक स्तर - पुरस्कार के बिना स्क्रीनिंग प्रतियोगिताएं
- जिला स्तर -प्रथम पुरस्कारः रुपये 5,000/-, द्वितीय पुरस्कारः रुपये 2,000/-, तृतीय पुरस्कारः - 1,000/-
- राज्य स्तर- प्रथम पुरस्कारः रुपये 25,000/-, द्वितीय पुरस्कारः रुपये 10,000/-, तृतीय पुरस्कारः रुपये 5,000/-

- राष्ट्रीय स्तर – प्रथम पुरस्कारः रुपये 2,00,000/-, द्वितीय पुरस्कारःरुपये 1,00,000/- तृतीय पुरस्कारः रुपये 50,000/-

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार विजेताओं के अलावा समस्त प्रतिभागियों को रु 10,000/- प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाएगी।

समय सीमा

राज्य स्तर तक मध्य नवंबर 2018 से दिसंबर, 2018 के अंत तक और राष्ट्रीय स्तर पर 26 जनवरी 2020 से पहले।

अन्य कार्यक्रम

1. युवा कार्यक्रम पर जिला सलाहकार समिति की बैठक (डीएसीवाईपी)

जैसाकि आप अवगत हैं कि जिला सलाहकार समिति (डीएसीवाईपी) का पुनर्गठन किया गया है। राज्य सलाहकार समिति (एसएसीवाईपी) के गठन की सूचना सभी राज्य निदेशकों को पत्र क्रमांक नेयुकेसं/कार्य : डीएसीवाईपी एंड एसएसीवाईपी/2016/51 दिनांक 06 जुलाई, 2016 के द्वारा परिचालित की गई है।

बजट

प्रति जिला ने.यु.के. बैठकों की संख्या	**राशि प्रति जिला रू. 1,000/- प्रति बैठक (रू. में)**
न्यूनतम 02 बैठक पहली बैठक – दूसरी तिमाही दूसरी बैठक – चौथी तिमाही	रुपये 2,000. राशि का उपयोग जलपान तथा अन्य सांगठनिक खर्चों के लिए किया जाना चाहिए।
हर तिमाही में बैठक आयोजित करने हेतु प्रयास किया जाना चाहिए।	

राज्य स्तरीय के कार्यक्रम
युवा कार्यक्रमों पर राज्य सलाहकार समिति की बैठक (एसएसीवाईपी)

जैसाकि आप अवगत हैं कि राज्य सलाहकार समिति (एसएसीवाईपी) का पुनर्गठन किया गया है। राज्य सलाहकार समिति (एसएसीवाईपी) के गठन की सूचना सभी राज्य निदेशकों को पत्र क्रमांक नेयुकेसं/कार्य : डीएसीवाईपी एंड एसएसीवाईपी/2016/52 दिनांक 06 जुलाई, 2016 के द्वारा परिचालित की गई है।

बजट

बैठकों की संख्या प्रति राज्य	**राशि प्रति बैठक रू. 3,000/- प्रति बैठक (रू. में)**
न्यूनतम 02 बैठक पहली बैठक - दूसरी तिमाही दूसरी बैठक - चौथी तिमाही	6,000 राशि का उपयोग हाई टी तथा अन्य सांगठनिक खर्चों के लिए किया जाना चाहिए, जिनमें फाइल फोल्डर, राइटिंग पैड, पेन, संदर्भ सामग्री, फोटोग्राफ इत्यादि शामिल हैं।
हर तिमाही में बैठक आयोजित करने हेतु प्रयास करें।	

2. योजना, समीक्षा और अनुवर्तन बैठक

उद्देश्य

- ने.यु.के.सं के चालू कार्यक्रमों और गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करना तथा रचनात्मक हस्तक्षेपों के सुझाव देना।

कार्यक्रम की विषयवस्तु

- आकस्मिकता योजना और जरूरत के समय कार्यान्वयन हेतु रणनीति
- सूक्ष्म-योजना का अभिसूत्रण
- प्रस्तावित गतिविधियों का प्राथमिकता क्रम निर्धारण
- युवा मंडलों की वार्षिक गतिविधियों की सूची तैयार करना
- गहन अनुवीक्षण तथा समीक्षा

गतिविधियां

- ने.यु.के. के निर्धारित लक्ष्यों तथा अर्जित लक्ष्यों और चालू तथा भावी कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की प्रगति, अनुवर्ती कार्यवाही की समीक्षा करना
- युवा विकास हेतु नवोन्मेषी परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों पर विचार करना तथा योजना बनाना और युवा मंडलों के मौजूदा नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतु सुझाव देना।
- युवा विकास के लिए सरकार (राज्य तथा केन्द्र सरकार दोनों) की चालू स्कीमों तथा कार्यक्रमों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान करना, समन्वय को गति देना और संसाधन जुटाना।

कार्य-विवरण

- इन बैठकों का आवश्यकता तथा जब और जहां इनका आयोजन अपेक्षित है, के अनुसार आयोजन का निर्णय राज्य निदेशक का विशेषाधिकार होगा।

बैठक की अवधि	:	01 दिन
प्रति बैठक प्रतिभागियों की संख्या	:	सभी उप निदेशक तथा जि.यु.स.
राज्य में बैठकां की संख्या	:	04
समय रेखा	:	दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही
चार बैठकों हेतु बजट	: रूपये 300 प्रति बैठक तथा प्रति उप निदेशक एवं मंडल का जिला युवासमन्वयक	